VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

सुरक्षा

November 2015 – August 2016

Note: September and October material will be updated in November 1st week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. साइबर सुरक्षा ____ 4
1.1. भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ ____ 4
1.2.ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन वर्ष 2015 ____ 5
1.3.अंतरिक्ष में साइबर सुरक्षा ____ 6
1.4.साइबर सुरक्षा में सहयोग ____ 7
1.5.आठवां अंतर्राष्ट्रीय भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन ____ 7
1.6.साइबर अपराध ____ 8
2. चरमपंथ ____ 10
2.1. लाल गलियारा ____ 10
2.2. कट्टरपंथ को कम करना ____ 11
2.2.1. कट्टरपंथी विचारधारा को कम करने की भारत की रणनीति ____ 11
2.2.2.सोशल मीडिया का विनियमन ____ 11
2.2.3.आतंकरोधी साइबर-विस्तार ____ 12
2.3. गुजरात संगठित अपराध एवं आतंकवाद नियंत्रण विधेयक (GCTOC) ____ 13
2.4. महाराष्ट्र आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम ____ 14
2.5. हिंसक चरमपंथ को रोकने के लिए कार्य योजना ____ 15
3. बाह्य स्टेट एवं नॉन स्टेट एक्टरों की भूमिका ____ 16
3.1. पूर्वोत्तर विद्रोह में चीन की भूमिका ____ 16
3.2. राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत ____ 16
3.3. अफ्स्पा [AFSPA] ____ 17
3.3.1.मेघालय में अफ्स्पा ____ 17
3.3.2. न्यायेत्तर हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ____ 18
3.4. आतंकवाद ____ 19
3.4.1. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय ____ 19
3.4.2. आतंक से लड़ने के लिए अन्य देशों के साथ भारत का सहयोग ____ 20
3.4.3. "लोन वुल्फ" - स्टाइल आतंकवादी हमले ____ 21
3.4.4. आतंकवाद विरोधी सम्मेलन ____ 21
3.4.5. बेल्जियम में आतंकी हमला ____ 22
3.4.6. सार्क देशों में सीमापार आतंकवाद से निपटना ____ 23
3.4.7. बांग्लादेश में आतंकवादी हमला ____ 24
3.4.8. पेरिस हमला ____ 24
3.4.9. पठानकोट हमला ____ 26
4. आंतरिक सुरक्षा में प्रौद्योगिकी, संचार, मीडिया और सोशल मीडिया ____ 28

VISION IAS

4.1. भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक, 2016 का मसौदा ____ 28

4.2. इंटरनेट सर्विलांस ____ 30

4.3. नेटग्रिड ____ 31

4.4. पुलिस नागरिक पोर्टल ____ 33

4.5. स्कॉर्पियन पनडुब्बी डाटा लीक ____ 34

4.6. गूगल स्ट्रीट व्यू ____ 35

5. तटीय क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा ____ 36

5.1. जम्मू और कश्मीर ____ 36

5.1.1. कश्मीर में अशांति (Kashmir Unrest) ____ 36

5.1.2. जम्मू और कश्मीर में प्रवासियों को राहत और पुनर्वास ____ 37

5.1.3. सियाचिन का विसैन्यीकरण ____ 38

5.2. अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यु (IFR) 2016 ____ 40

5.3. वृहद् समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली ____ 41

5.4.तटीय सुरक्षा ____ 41

5.5. विशाखापत्तनम में जलगत निगरानी प्रणाली ____ 42

5.6. स्पाई कैम परियोजना ____ 42

6. मनी लॉन्डरिंग, संगठित अपराध और आंतकवाद ____ 43

6.1. आतंकवाद का वित्तपोषण ____ 43

6.2. आतंकी वित्तपोषण तथा मनी लॉन्डरिंग की समस्या से निपटने की भारत की रणनीति ____ 43

6.3. ISIS और अल-कायदा को वित्तीय मदद रोकने हेतु UNSC का प्रस्ताव ____ 45

6.4. सीमा-पार मानव तस्करी : एक संगठित अपराध ____ 45

6.5. अंग व्यापार (मानव अंगों का संगठित अवैध व्यापार) ____ 47

7. सुरक्षा बल और एजेंसियाँ ____ 49

7.1.भारतीय रिजर्व बटालियन बल ____ 49

7.2. जिला रिजर्व बटालियन ____ 49

7.3. जांच एजेंसियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन ____ 50

8. विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ____ 52

VISION IAS

1. साइबर सुरक्षा

1.1. भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ

(India's Cyber Security Challenges)

साइबर स्पेस की कल्पना मुख्य रूप से एक असैनिक दुनिया के रूप में की गई थी, तथापि अब यह युद्ध के लिए एक नया प्रक्षेत्र बनता जा रहा है।

विगत साइबर हमले

- स्टक्सनेट साइबर हमला (2010)- नतांज़ प्रान्त में एक ईरानी परमाणु अधिष्ठापन पर हमला।
- 2007 में, एस्टोनिया ने एक साइबर हमले के समक्ष लगभग अपने घुटने टेक दिए थे। यह संभावित रूप से रूसी हैकर्स द्वारा किया गया था।
- पिछले कुछ वर्षों में उन्नत देशों के सबसे सुरक्षित माने जा रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी सफल साइबर हमलों को देखा गया है।
- पिछले साल यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना पर भी एक घातक साइबर हमला हुआ था।

स्पष्ट है कि साइबर स्पेस में विधि के कोई नियम मौजूद नहीं हैं। अब यह प्रक्षेत्र एक खतरनाक स्थान बन गया है।

साइबर सुरक्षा की आतंकवाद से तुलना -

इंटरनेट की संरचना कनेक्टिविटी बढाने के लिए की गई थी, न कि सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। साइबर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कोई देश तकनीकी रूप से जितना अधिक उन्नत और तारों के संजाल से लैस है, एक साइबर हमले के समक्ष वह उतना ही कमज़ोर है।

साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के बीच कुछ समानताएं हैं ।

- दोनों असममित(asymmetric) हैं।
- डेटा, सूचना और संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एक सिस्टम में हैकिंग की तुलना में काफी कठिन है।
- हमलावर पारंपरिक आतंकवाद और साइबर हमले दोनों से लाभ प्राप्त कर सकता है।
- राज्य प्रायोजित हमलों के मामले में चुनौतियाँ और भी जटिल होती हैं।

साइबर स्पेस में भारत के लिए जोखिम

- भारत डिजिटल घुसपैठ जैसे साइबर जासूसी, साइबर अपराध, डिजिटल व्यवधान(disruption) और वितरित रूप में सेवा से वंचित करना (Distributed Denial of Service) इत्यादि के लिए अभी भी सुभेद्य बना हुआ है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013) के लागू होने के बावजूद भी हमारी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए एक जोखिम विद्यमान है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (2014) गठित करने के बावजूद, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी) तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता सहयोग में बाधक है।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।
- चीन द्वारा 'क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक' पर अत्यधिक ज़ोर दिया जा रहा है और इस प्रयास में चीन के सुरक्षा मंत्रालय की भागीदारी से अंदेशा है कि चीन एक आक्रामक साइबर ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा है। भारत इसका एक प्रमुख लक्ष्य हो सकता है।

भारत की जरूरत क्या है?

- **ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी (Bleeding edge technology):** ब्लीडिंग एज टक्नोलॉजी से आशय उन नई तकनीकों से है जो रिलीज़ की जा चुकी हैं, परंतु चूंकि इनका व्यापक रूप से परीक्षण नहीं हो सका है, इसलिए ये आम जनता के प्रयोग के लिए अभी तैयार नहीं हैं। शब्द "ब्लीडिंग एज" को इसी तरह के शब्दों "लीडिंग एज" और "कटिंग एज" की तर्ज पर बनाया गया है।

VISION IAS

- **बिग डाटा एनालिटिक्स:** यह डाटा के बड़े परिमाण के संग्रहण, उसे व्यवस्थित करने तथा उपयोगी जानकारी खोजने के लिए उसके विश्लेषण की प्रक्रिया है।
- **एयर गैपिंग:** एयर गैपिंग एक सुरक्षा उपाय है जिसमें किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को अलग-थलग कर बाह्य संबंध स्थापित करने से रोक दिया जाता है। एयर गैप्ड कंप्यूटर भौतिक रूप से अलग-थलग होता है और अन्य कंप्यूटर या नेटवर्क उपकरणों के साथ बिना तार के या अन्य किसी प्रकार से भौतिक रूप से जोड़ने के योग्य नहीं होता है।
- क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक पर जोर।
- आक्रामक साइबर ऑपरेशन और सुदृढ़ साइबर सुरक्षा पर बल देने की आवश्यकता है।

1.2.ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन वर्ष 2015

- ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए एशिया का सबसे बड़ा सहयोगी मंच है। इस सम्मेलन में अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है और उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के सुझाव दिए जाते हैं। यह निजी और सरकारी उद्यमों, सरकारी विभागों, सुरक्षा और रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच संबंधों को स्थापित करने और मजबूत बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है।
- शून्य की खोज भारत में हुई थी और शून्य, डिजिटल प्रणाली का अभिन्न अंग है। यह सम्मेलन भी भारत में ही आयोजित होता है। इसी आधार पर इस सम्मेलन का नामकरण किया गया है।
- इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय इन्फोसेक कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है। भारतीय इन्फोसेक कंसोर्टियम प्रमुख साइबर विशेषज्ञों द्वारा गठित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है।
- *इस सम्मेलन का उद्देश्य:* नवीनतम तकनीकी विकास के कारण उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस वर्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु थी: **डिजिटल भारत - 'डिजिटल भारत को सुरक्षित करना'**

पृष्ठभूमि:

- साइबर दुनिया से संबंधित अपराध बहुस्तरीय, बहु-स्थानीय, बहुभाषी, बहु-सांस्कृतिक और बहु-कानूनी होते हैं। इसलिए इनकी जांच करना और अपराधी तक पहुँचना काफी मुश्किल होता है।
- वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में साइबर अपराध से संबंधित मामलों में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इंटरनेट पर कट्टरता का खतरा बढ़ता जा रहा है।

साइबर सुरक्षा की जरूरत क्यों है:

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण अवसंरचना किसी भी परिस्थिति में ध्वस्त न हो।
- कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए।
- आपदा राहत एवं पुनर्वास व्यवस्था के नियमित रूप से परीक्षण और उसमें सुधार को सुनिश्चित करने के लिए।
- डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं की सफलता के लिए।

शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण झलकियाँ :

- भारत में कानून प्रवर्तन के नज़रिए से विभिन्न साइबर अपराध के मामलों के अध्ययन, प्रवृत्तियों और जांच की चुनौतियों पर चर्चा की गई।
- शिखर सम्मेलन में स्वदेशी साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया और भारतीय साइबर सुरक्षा में नए उद्यमों की प्रदर्शनी लगायी गयी।

आगे की राह:

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I-4C)**

✓ गुलशन राय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र" (I-4C) स्थापित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

✓ इस केंद्र से साइबर अपराधों की निगरानी और उनसे निपटने के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। साथ ही यह इन अपराधों को कम करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भी मदद करेगा।

IT पेशेवरों का संगठन:

- IT पेशेवरों के संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय साइबर रजिस्ट्री का विचार भी रखा गया है।
- इसके माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान की जायेगी और इस क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों के माध्यम से IT पेशेवरों का सहयोग किया जाएगा।

1.3.अंतरिक्ष में साइबर सुरक्षा

(cyber security in space)

आवश्यकता

- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था करीब 330 अरब डॉलर की हो गयी है। निजी वाणिज्यिक क्षेत्रक सहित विभिन्न हितधारकों के बीच वाणिज्यिक मेलजोल से यह अवसरों के साथ-साथ खतरा भी उत्पन्न करती है।
- हैकर्स के लिए अंतरिक्ष दोहरा अवसर प्रदान करता है क्योंकि उनके लिए ये उपग्रह ट्रॉफी अटैक्स **(trophy attacks)** बनते जा रहे हैं।

हैकिंग से खतरे-

- वाणिज्यिक नेटवर्क को सेवा प्रदान करने वाले उपग्रहों के मध्य प्रसारित की जाने वाली जानकारी (डेटा) तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार ये उपग्रह साइबर हमलों के लिए एक आसान लक्ष्य बनते जा रहे हैं। उपग्रह निर्माताओं के अनुसार डेटा के अवरोधन के प्रयास और सॉफ्टवेयर में वायरस डालने के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं।
- अंतरिक्ष मुख्यतः बौद्धिक सम्पदा से सम्बंधित है। इस नवीनतम तकनीक के अनुसंधान और विकास में लम्बा समय लगता है और यह काफी खर्चीली भी है। इस वजह से साइबर हमले द्वारा तकनीक की चोरी से पैसे और समय की बचत हो जाती है।
- कंपनियां और यहां तक कि कई देश भी उपग्रहों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए विनिर्माण शक्तियों का दोहन करने के लिए जाने जाते हैं।

✓ उदाहरण के लिए, हाल ही में इस क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी को कुछ सूक्ष्म-परिपथ (Micro-Circuits) प्राप्त हुए। जब इन्हें माइक्रोस्कोप से जांचा गया तो पता चला कि उनके साथ बहुत ही बुनियादी स्तर पर छेड़छाड़ की गई थी।

✓ अगर इसका पता नहीं चलता तो यह एक रैंडम नम्बर जनरेटर द्वारा छेड़छाड़ कर हैकर्स को उपग्रह का उपयोग करने में मदद करता और इसके काफी नकारात्मक परिणाम हो सकते थे।

प्रभाव:

- इससे वाणिज्यिक उद्यम की लागत बढ़ सकती है और भविष्य के निवेश पर भी असर पड़ेगा।
- उपग्रह बनाने की लागत और प्रक्षेपण की लागत के बाद बीमा प्रीमियम तीसरा सबसे बड़ा खर्च होता जा रहा है।
- बौद्धिक संपदा, सैन्य और सामरिक जानकारी किसी अन्य के पास जाने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

- यह नया और उभरता हुआ युद्ध क्षेत्र है। इसके द्वारा उपग्रह प्रणालियों की सेवाओं को ठप्प किया जा सकता है जिसका हमारे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के इनसैट-4बी संचार उपग्रह की विफलता के लिए *स्टक्सनेट* नाम का वायरस जिम्मेदार था। हालांकि इसरो ने इस संभावना से साफ इनकार किया है।

भविष्य की राह:

भविष्य में अंतरिक्ष प्रयास में सफलता एक भली-भाँति समायोजित, साइबर सुरक्षित और छेड़छाड़ मुक्त साइबर सुरक्षा प्रणाली की स्थापना पर निर्भर करेगी। यह जरुरत या युद्ध के दौरान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने की क्षमता प्रदान करेगा।

VISION IAS

1.4.साइबर सुरक्षा में सहयोग

(Cooperation in Cybersecurity)

- पिछले कुछ वर्षों में भारत में होने वाले साइबर हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- सरकार का उद्देश्य इंटरनेट की पैठ को और अधिक बढ़ाना है फलस्वरूप भविष्य में स्थानीय स्तर पर भी साइबर हमलों के मामलें सामने आ सकते हैं।
- वर्तमान सरकार सुरक्षित साइबर नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
- इस तरह का सहयोग सूचनाओं के आदान-प्रदान में मदद करने के साथ ही विशिष्ट प्रकार की साइबर घटनाओं का सामना करने में प्रत्यक्षतः मदद करेगा। उदाहरण के तौर पर-

✓ भारत और ब्रिटेन सहयोग एवं जानकारी के लिए अपने साइबर पेशवरों के संयुक्त प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के लिए एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं। ब्रिटेन भारत में एक साइबर क्राइम यूनिट स्थापित करने में मदद करेगा।

✓ जानकारी एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान, कानून प्रवर्तन और तकनीकी क्षमता निर्माण में सहायता हेतु संयुक्त रूप से साइबर आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए भारत एवं चीन अपने-अपने गृह मंत्रालयों के अधीन उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समूह/तंत्र गठित कर रहे हैं।

✓ भारत व अमेरिका साइबर सुरक्षा संबन्धी मुद्दों की एक श्रृंखला पर सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिबद्ध हैं।

CERT-IN: पृष्ठभूमि

- वर्ष 2004 (इसके स्थापना का वर्ष) से ही साइबर खतरों की घटनाओं का मुकाबला करने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
- यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करती है।
- इसका प्रमुख कार्य साइबर घटनाओं की जानकारी का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार करना तथा किसी आपात साइबर स्थिति को संभालने के लिए अलर्ट जारी करना और आपात उपाय लागू करना है। यह साइबर घटनाओं से संबंधित प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों का भी समन्वय करती है तथा साइबर घटनाओं की रोकथाम, रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया के लिए दिशा-निर्देश और परामर्श जारी करती है।

नवीनतम प्रयास

- इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने सिंगापुर, जापान और मलेशिया में अपने समकक्षों के साथ साइबर सुरक्षा संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह समझौता साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए एवं आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक बेहतर अवसर/मंच उपलब्ध कराएगा।

1.5.आठवां अंतर्राष्ट्रीय भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन

(8th International India Security Summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

8वां अंतर्राष्ट्रीय "भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन: राष्ट्र की सुरक्षा" एसोचैम द्वारा आयोजित किया गया था, जो वाणिज्य और उद्योग के लिए भारत का शीर्ष प्रकोष्ठ है।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

- **एसोचैम के अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:**

✓ भारत की आंतरिक सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र बनी हुई है, जिसे लगातार आंतरिक साइबर अपराध, भौतिक अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी, उग्रवाद तथा सीमा पार की घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चिंता की बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

VISION IAS

- ✓ यह राज्य का कर्तव्य और कार्य है कि वह अपने नागरिकों, संगठनों और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, उनकी सुरक्षा के सामने आने वाले सभी खतरों का निवारण करे तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के पारंपरिक कार्य को भी दुरुस्त रखे।
- ✓ आज जबकि आधी से अधिक वैश्विक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, सुरक्षित शहर का होना उत्तरोत्तर रूप से सकुशल रहने और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।
- **केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला:**
- ✓ विकास और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ इन दिनों साइबर अपराध दुनिया भर में सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है।
- ✓ साइबर स्पेस का इस्तेमाल युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए किया जा रहा है।
- ✓ साइबर अपराध के साथ मुख्य समस्या इसकी जानकारी और अभियोजन है, क्योंकि इसका कोई चेहरा या सीमा नहीं होती है।
- ✓ पूर्वगठित विशेषज्ञ समूह द्वारा देश में साइबर अपराधों से लड़ने के लिए एक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre, I4C) की स्थापना करने के लिए सिफारिश की गयी।
- ✓ इससे पहले अपराध, भूमि, जल या आकाश में किये जाते थे लेकिन 20 वीं सदी में इसमें अंतरिक्ष का आयाम भी जुड़ गया। परंतु आजकल, साइबर अपराध अपने दायरे में कई गुना वृद्धि कर चुका है। मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों सहित दुनिया भर में होने की वजह से साइबर अपराध एक गंभीर चिंता का विषय है।
- भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत ने सुझाव दिया कि भारत को साइबर अपराध पर कन्वेंशन जिसे बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, को स्वीकार करना चाहिए।
- ✓ बुडापेस्ट कन्वेंशन पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि राष्ट्रीय कानूनों में तालमेल, खोजी तकनीकों के लिए कानूनी अधिकरणों में सुधार, और देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के माध्यम से इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से जुड़ी हुई है।
- ✓ एक पार्टी के रूप में, भारत उस प्रमाणित ढांचे से लाभान्वित होगा जिसके तहत कई राष्ट्र साइबर अपराध और ऐसे अन्य अपराध जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सम्मिलित हैं, के संबंध में अधिकतम संभव सीमा तक एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- ✓ बुडापेस्ट सम्मेलन साइबर सुरक्षा पर एकमात्र बहुपक्षीय सम्मेलन है इसलिए यह किसी देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- ✓ भारत सहित अन्य विकासशील देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इसका मसौदा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में विकसित देशों द्वारा उनसे (विकासशील देशों से) परामर्श लिए बिना तैयार किया गया है।

VISION IAS

1.6.साइबर अपराध

(Cyber Crimes)

PWC और एसोचैम द्वारा किये गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत में साइबर अपराध के दर्ज मामलों की संख्या में 2011 से 2014 की अवधि में 350 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

- अतीत में, ज्यादातर ऐसे हमले अमेरिका, तुर्की, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान, अल्जीरिया, तुर्की, यूरोप, और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों पर किये गए थे।
- बहरहाल, इंटरनेट और स्मार्ट फोन के बढ़ते उपयोग के साथ, भारत साइबर अपराधियों के बीच पसंदीदा देशों में से एक के रूप में उभरा है।

- **सुरक्षा के लिए मुख्य खतरे:**

  महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे: हमलावर, परमाणु संयंत्रों, रेलवे, परिवहन या अस्पतालों जैसी महत्वपूर्ण प्रणालियों पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं जिसके बाद में गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

कंप्यूटर अपराध या साइबर अपराध, वह अपराध है जो कंप्यूटर और नेटवर्क को शामिल करता है। यह कंप्यूटर अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या इसका लक्ष्य भी हो सकता है।

2. चरमपंथ

(Extremism)

2.1. लाल गलियारा

(Red corridor)

लाल गलियारा क्या है?

- **रेड कॉरिडोर** वस्तुतः भारत के पूर्वी भाग का एक क्षेत्र है जो नक्सलवाद-माओवाद से बुरी तरह प्रभावित है।
- 10 राज्यों - बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ - के 106 जिले वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism-LWE) से प्रभावित हैं और ये जिले ही एक साथ **'रेड कॉरिडोर'** के रूप में जाने जाते हैं।

रेड कॉरिडोर का पुनःनिर्धारण

- केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या को लगभग इसके पांचवें भाग तक कम करने का निर्णय लिया है। इन LWE जिलों की संख्या में कमी करने के पीछे केंद्र सरकार के निहित तर्क निम्नलिखित हैं:

✓ उन जिलों में हिंसा का स्वरुप

✓ उनके समर्थकों और "जमीनी कार्यकर्ताओं" द्वारा सशस्त्र माओवादी कैडरों को प्रदान किए जाने वाली सामग्रियों और अन्य तरह की सहायता का मूल्यांकन, और

✓ विकास कार्य के माध्यम से लाए गए सकारात्मक परिवर्तन, जो इन जिलों में देखे गए हैं।

LWE जिलों के लिए वित्तीय और सुरक्षा सहायता

- LWE जिलों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय और सुरक्षा से संबंधित सहायता उपलब्ध करायी जाती है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक जिले के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत उपलब्ध कराये जाते हैं।
- अन्य योजनाएँ जैसे कि विशेष बुनियादी ढांचा योजना, एकीकृत कार्य योजना और नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम राज्य कोष में वृद्धि करते हैं।

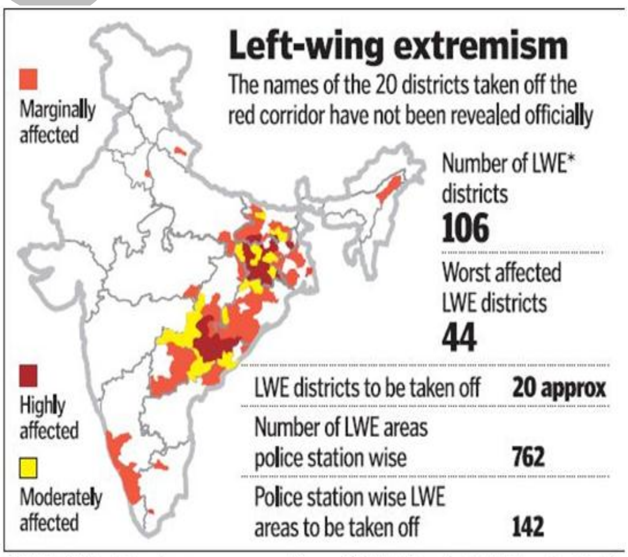

*LWE: Left-Wing Extremism   Source: 2015 data from South Asia Terrorism Portal

इस प्रयोग का प्रभाव

- राज्य सरकारों को डर है कि एक बार यदि इन LWE जिलों को सूची से हटा दिया जाता है तो उन्हें मिलने वाला वित्तीय सहयोग बंद हो जाएगा।

VISION IAS

2.2. कट्टरपंथ को कम करना

(Deradicalisation)

2.2.1. कट्टरपंथी विचारधारा को कम करने की भारत की रणनीति

(India's Deradicalisation Strategy To Counter ISIS Threat)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रचारित की जा रही जिहादी विचारधारा से निपटने के लिए एक विस्तृत जवाबी रणनीति बनाने का निर्देश दिया है।

कट्टरपंथ से निपटने की रणनीति

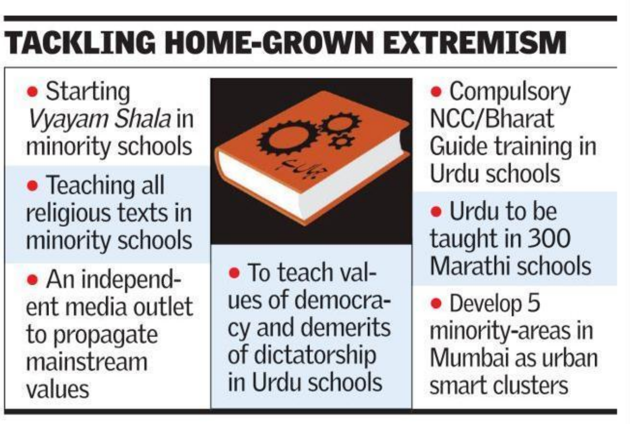

- ऑस्ट्रिया में हाल ही में स्थापित की गयी हॉटलाईन के समान 'एक्सट्रीमिज्म काउंसलिंग हॉटलाईन (extremisim counselling hotline)' की शुरुआत।
- यह 'सुभेद्य तथा कट्टरता से प्रभावित' नौजवानों के माता-पिता, अध्यापकों तथा मित्रों को पेशेवर सहायता प्राप्त करने में मदद करेगी ताकि इन नौजवानों को कट्टरपंथ के प्रभाव से मुक्त किया जा सके।
- इसके अलावा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ अमेरिका के 'कट्टरवाद -विरोधी कार्यक्रम' जो कि समुदाय तक पहुँच पर आधारित है तथा यू. के. के 'प्रिवेंट एंड चैनल प्रोग्राम' का भी अध्ययन कर रही हैं।

राज्यों द्वारा उठाए गए कुछ कदम

कर्नाटक - मदरसों के आधुनिकीकरण के संबंध में प्रस्ताव दिए गए हैं-

- अकादमिक जानकारी प्रदान करना तथा कुरान की वास्तविक शिक्षाओं के संबंध में समझ बढ़ाना।
- मदरसों तथा मस्जिदों का गहन सर्वे तथा एक विस्तृत डेटा बेस तैयार करना।
- ऑनलाईन इस्लामिक शिक्षा की व्यवस्था।

महाराष्ट्र - कट्टरवादी विचारधारा कम करने की रणनीति

- विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों तक पहुँच बनाने के लिए अलग-अलग विभागों पर विचार करना।
- पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे पुलिस बल के अन्दर साम्प्रदायिक भावनाओं को पहचानें तथा उसे कम करें।
- अल्पसंख्यकों तक पहुँच बनाना तथा उनके ह्रदय को जीतना।

2.2.2.सोशल मीडिया का विनियमन

(Regulation of Social Media)

आंतरिक सुरक्षा में एक चुनौती के रूप में सोशल मीडिया

- मीडिया कट्टरता का एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए
- यह आरोप लगाया जाता है कि बांग्लादेशी आतंकवादी, इस्लाम धर्मोपदेशक जाकिर नाईक के शिक्षण से प्रभावित थे, जिसका 'भड़काऊ भाषण' ऑनलाइन उपलब्ध हैं, ।
- कई IS समर्थक भारत में समर्थन प्राप्त कर रहे हैं; इराकी राजदूत ने हाल ही में IS द्वारा भारत में स्लीपर सेल स्थापित करने की सम्भावना की ओर संकेत किया है, यह मुख्यतः विदेशी वित्त से पोषित इस्लामिक सेमिनारों और उपदेशकों की मदद से हो रहा है।

- सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न इत्यादि की घटनाएं
- हाल ही में केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने ट्विटर पर महिलाओं के उत्पीड़न की जांच करने के लिए एक रणनीति पर काम करने की मांग की।
- कानून और व्यवस्था की समस्या। जैसे कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जहां सोशल मीडिया का आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के खिलाफ भावनाओं को भड़काने में इस्तेमाल किया गया था; उसे विभिन्न सोशल मीडिया और विदेश आधारित ट्विटर हैंडलों पर शहीद घोषित किया गया।

क्या किया जा सकता है?

- अपराध की पुनरावृत्ति करने वाले सदस्यों की संलग्नता के लिए नियम बनाना जिससे अंततः उसके सोशल मीडिया खाते को निलंबित किया जा सके।
- सोशल मीडिया के लिए बच्चों की पहुँच माता-पिता द्वारा विनियमित किए जाने की जरूरत है। सोशल मीडिया साइटों के 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों के खातों के लिए विशेष निगरानी होनी चाहिए।
- केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय को इस विषय का स्वामित्व लेना चाहिए एवं सोशल मीडिया के विभिन्न समूहों तथा मंचों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।
- इसके अलावा, हिंसा, घृणा और राष्ट्रवाद विरोध से युक्त संदेश का पता लगाने और हटाने के लिए ऑटो फ़िल्टर रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति

- केंद्र सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति घोषित करने की योजना बना रही है
- यह नीति, सोशल मीडिया पर होने वाले ऐसे किसी भी दुष्प्रचार के प्रति जवाबी करवाई पर ध्यान केन्द्रित करेगी जो देश में किसी साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के बाद किया जाता है। ऐसे कई मामले हैं, जहां सांप्रदायिक दंगे, छात्र अशांति आदि जैसी घटनाओं का इस्तेमाल संवेदनशील एवं भावुक लोगों के बीच चरम भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया था और उन्हें इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया ताकि एक विशेष विचारधारा के अनुरूप बनाया जा सके।
- **IS के द्वारा भर्ती की विधि**: ये संभावित उम्मीदवारों को चिन्हित करते हैं जो IS समर्थक साहित्य को पसंद करते हों या साझा(share) करते हों और फिर उन्हें इराक और सीरिया में IS नियंत्रित क्षेत्रों की यात्रा के लिए आकर्षित करने के प्रयास से पहले और अधिक सामग्री साझा (share) करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

2.2.3.आतंकरोधी साइबर-विस्तार

(Anti-Terror cyber-push)

साइबर खतरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक 'राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति' लाने का निर्णय किया है।

नीति का मुख्य फोकस : सांप्रदायिक तनाव सम्बन्धी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर किये जाने वाले मत प्रचार के विरुद्ध कदम उठाना।

नीति के लिए उत्तरदायी कारक:

- युवाओं में कट्टरपंथी झुकाव: ऑनलाइन वीडियो और सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से इस्लामिक स्टेट द्वारा प्रसारित कट्टरपंथ से प्रभावित होने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही

VISION IAS

है।

- सांप्रदायिक हिंसा: सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है।
- तस्वीरों में छेड़-छाड़ करके सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है।
- पिछले दो सालों में 48 भारतीय IS से जुड़ाव के चलते गिरफ्तार किये गए हैं और 25 लोग IS के पक्ष में लड़ने के लिए सीरिया जा चुके हैं।

2.3. गुजरात संगठित अपराध एवं आतंकवाद नियंत्रण विधेयक (GCTOC)

Gujarat Control of Terrorism and Organised Crime Bill (GCTOC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस विवादास्पद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके कुछ प्रावधानों को कम कठोर करने का एक और प्रयास किया जा रहा है ताकि इसे सहमति प्राप्त हो सके।

कानून के प्रति चिंताएं

- मानव अधिकारों का उल्लंघन: अधिनियम का S.16 प्रावधान पुलिस के समक्ष दिए गए बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है। यह अधिक खतरनाक तब हो जाता है जब इसे प्रावधान S.20 के साथ पढ़ा जाए जो पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर देता है। इसी तरह का प्रावधान मकोका में विद्यमान है। हालांकि, इस विवादास्पद प्रावधान का राष्ट्रीय कानून UAPA में स्थान नहीं है (लेकिन टाडा और पोटा में विद्यमान था)।
- दोषसिद्धि की निम्न दरें; POTA के पिछले अनुभव यह दर्शाते हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों में से केवल 1% से भी कम लोगों को दोषी ठहराया गया। अत: निवारक के रूप में काम करने का इसका मूल उद्देश्य विफल हो जायेगा
- अनियंत्रित दुरुपयोग- पुलिस तथा उनके राजनितिक आकाओं द्वारा इसका मुक्तहस्त दुरुपयोग। जैसे-वाइको के मामले में उसे POTA के तहत LTTE का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
- नागरिक अधिकार- यह कानून 180 दिनों की हिरासत की अनुमति देता है जो UAPA के तहत हिरासत अवधि का दोगुना है।
- अंतिम आपत्ति विधेयक के अनुच्छेद 25 को लेकर है,जो इस अधिनियम के तहत किये गए कार्य के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध सरकार का संरक्षण करता है। चिंता यह है कि कार्यपालिका इस अनुच्छेद का लाभ उठाएगी और क़ानून के प्रति कम उत्तरदायी हो जायेगी।
- उस प्रावधान के सम्बन्ध में भी चिंता दर्शायी गयी है जो इंटरसेप्ट की गयी टेलीफोनिक वार्ता को अदालतों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार होने की अनुमति देता है। (पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल द्वारा इसकी अस्वीकृति मुख्य रूप से इस प्रावधान की वजह से थी)।

सुझाव

- इस तरह के कठोर कानूनों के अतिरिक्त, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जनशक्ति, उपकरणों, प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण के मामले में सशक्त कर बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

GCTOC के तहत संरक्षण

- मकोका और GCTOC के तहत नागरिकों के लिए अनेक संरक्षण विद्यमान हैं , उनमें प्रमुख हैं -

✓ वह शर्त जिसके अनुसार कोई भी मामला दर्ज करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) की अनुमति/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) की अनुमति आवश्यक है।

✓ इसके अतिरिक्त, जांच अधिकारी, उपाधीक्षक (DSP) की रैंक का होना चाहिए।

✓ किसी आरोपी का आरोप-पत्र (चार्जशीट) अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) की अनुमति आवश्यक है।

VISION IAS

अवसर (Opportunity)

- मकोका के तहत एक अच्छी बात यह है कि अब तक इसके तहत आरोपी बनाये गए व्यक्तियों में से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत कम संख्या में हैं। धर्माधिकारी समिति, जिसे मकोका की कार्यप्रणाली की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था ,को इसमें ऐसी कोई कमी या आलोचना योग्य बिंदु नहीं दिखा जो इस अधिनियम के गुणों से विरोध में हो।
- वार्षिक रूप से, औसतन मात्र 40 मुकदमों का पंजीयन और लगभग प्रत्येक मामले में 6-7 लोगों की गिरफ्तारी, विशेषत: महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में ,इस बात का सबूत हैं कि मकोका का इस्तेमाल अत्यंत चयनात्मक रहा है न की अंधाधुंध जैसा TADA या POTA के मामले में था।
- यदि गुजरात पुलिस ने अपने महाराष्ट्र पुलिस की भांति कार्य किया होता तो इस अधिनियम के अधिकांश विरोधी अपना विरोध वापस ले लेते।
- **GCTOC, मकोका एवं UAPA की तुलना**
- **समानता**

✓ आरोप-पत्र दायर करने के लिए 180 दिन का समय, अपराध का अनुमान और परीक्षण के लिए विशेष अदालतें।

- **अंतर**

✓ कार्य-क्षेत्र एवं परिभाषा: GCTOC और UAPA आतंकवाद (निवारक की तरह भी कार्य करते हैं) और संगठित अपराध को शामिल करते हैं लेकिन मकोका केवल संगठित अपराध से जुड़ा है (हालांकि यह संयोजित आतंकवादी घटनाओं तक भी विस्तारित होता है)।

✓ संचार का इंटरसेप्शन: यह सभी में मौजूद है लेकिन अनुमति प्रक्रिया मकोका में अधिक कठोर है

✓ पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति - मकोका और GCTOC दोनों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य किन्तु UAPA में नहीं ।

2.4. महाराष्ट्र आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम

(Maharashtra Protection of Internal Security Act)

सुर्खियों में क्यों ?

महाराष्ट्र सरकार ने "आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिकता और जातीय हिंसा" से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का मसौदा बनाया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है।

महाराष्ट्र आंतरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम (MPISA), 2016 की मुख्य विशेषताएँ:

अधिनियम ने आतंरिक सुरक्षा को 'राज्य के लिए उसकी सीमाओं के भीतर खतरा उत्पन्न करने वाली' एक स्थिति के रूप में परिभाषित किया है।

- यह मसौदा सभी सार्वजनिक स्थानों के लिए चाहे वह सार्वजनिक या निजी स्वामित्व में हो - पुलिस द्वारा आदेशित CCTV निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को अनिवार्य बनाता है।
- अधिनियम के तहत विशेष सुरक्षा क्षेत्र (SSZ) स्थापित किये जायेंगे, जहां से हथियार और विस्फोटकों और बेनामी धन के प्रवाह को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अधिनियम में यह भी परिभाषित है कि SSZ के पास एक पृथक पुलिस अवसंरचना भी होगी।
- यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्षेत्रों (CIS) को परिभाषित करता है और इसके दायरे में परमाणु रिएक्टरों, बांधों, प्रमुख परियोजनाओं, तटीय क्षेत्रों को भी शामिल करता है ।
- मसौदे में एक 'राज्य आंतरिक सुरक्षा समिति' का भी प्रावधान किया गया है जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे तथा गृह राज्य मंत्री एवं मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे ।
- मसौदे में राज्य की सुरक्षा को धमकी देने वाले लोगों के लिए तीन वर्ष की कैद और जुर्माना का भी प्रावधान है।

VISION IAS

प्रस्तावित कानून के प्रति आशंकाएं

- राज्य का दायित्व नहीं : इस कानून के तहत जिन लोगों पर गलत तरीके से आरोप लगाया गए हैं, ऐसे नागरिक न तो राज्य पर मुकदमा कर सकते हैं न ही उससे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं क्योंकि अधिनियम में किये गए प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को ऐसी किसी भी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है।
- मानव अधिकारों का उल्लंघन: ऐसी प्रत्येक स्थिति में जबकि इस तरह के कानूनों के तहत पुलिस के हाथों में अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान की गयी हैं, उसका परिणाम मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ, झूठे आरोप ,मुकदमों के बिना ही लम्बे समय तक कारावास,यातना एवं हिरासत में मौतों के रूप में प्रदर्शित हुआ है। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र से ही सम्बंधित 2006 का मालेगांव विस्फोट मामला है।
- CCTV की तैनाती व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन है ।
- कानूनों की बहुलता: आंतरिक सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए राज्य में पहले से ही संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 ,2008 एवं 2012 में दो बार संशोधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA), 1980 जैसे क़ानून मौजूद हैं।

2.5. हिंसक चरमपंथ को रोकने के लिए कार्य योजना

(Action Plan for Preventing Violent Extremism)

- अपने प्रत्येक सदस्य देशों को हिंसक चरमपंथ से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना विकसित करने की अनुशंसा के आशय से संयुक्त राष्ट्र ने UNSCR 1267 समिति के तहत एक ड्राफ्ट योजना प्रस्तावित की है।
- ड्राफ्ट के अंतर्गत सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है।

भारतीय दृष्टिकोण:

- भारत ने हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावित योजना को अपर्याप्त बताते हुए उसकी आलोचना की है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 समिति

- **संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण पैनल जो आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने पर फैसला करता है,**
- **सूचीबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध, संपत्ति को जब्त करने और अन्य यात्रा प्रतिबंधों से संबंधित।**

- मुख्य मतभेद "विदेशी कब्जे" और "आत्मनिर्णय के अधिकार" जैसे मुद्दों पर है|
- "आतंकवाद" और "हिंसक चरमपंथ" की परिभाषा पर स्पष्टता का अभाव।
- कार्य योजना, सदस्य देशों के लिए "आदेशों से भरा" है लेकिन सदस्य देशों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र क्या करेगा इसका उल्लेख कम है।
- जो सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र से मदद की मांग करेंगे उनकी सहायता के लिए "एकल संपर्क बिंदु की कमी" है।
- भारत ने इस बढ़ते "वैश्विक खतरे” से निपटने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया|
- भारत ने कहा कि हिंसक चरमपंथियों को कानून की पूरी ताकत के अधीन लाया जाये।
- भारत का मानना है कि आतंकवाद का प्रसार वैश्विक स्तर पर हो रहा है जबकि सरकारें राष्ट्रीय स्तर पर और यहां तक कि विभागीय स्तर पर विचार कर रही हैं।

VISION IAS

3. बाह्य स्टेट एवं नॉन स्टेट एक्टरों की भूमिका

(Role of external state and non state actors)

3.1. पूर्वोत्तर विद्रोह में चीन की भूमिका

(Role of China in North-East Insurgency)

केंद्र सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि 2015 में नागालैंड के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल (Khaplang) समूह ने चीन के कहने पर पूर्वोत्तर में हिंसा तीव्र कर दी थी।

- इसकी स्वीकारोक्ति, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत विद्रोही संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय करने के लिए इस वर्ष की शुरुआत में गठित एक न्यायाधिकरण के समक्ष केंद्र और राज्यों के बयान में की गयी।
- सितंबर 2015 में केंद्र सरकार द्वारा NSCN-खापलांग पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में UAPA के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नजमी वज़ीरी के नेतृत्व में न्यायाधिकरण स्थापित किया गया।
- केवल नागालैंड ऐसा राज्य था जो *NSCN-खापलांग* को एक अवैध संगठन घोषित करने के पक्ष में नहीं था। इसने एक "शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान 'की मांग की थी। अरुणाचल और मणिपुर ने प्रतिबंध का समर्थन किया।

विद्रोह

यह सरकार को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य लिए समाज के एक वर्ग के विद्रोह या सशस्त्र संघर्ष की कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है।

- विद्रोही, सुरक्षा बलों को और राज्य तंत्र को लक्ष्य बनाते हैं।
- ऐसे विद्रोही, लोगों को लामबंद करने, लोकप्रिय समर्थन हासिल करने और अंततः सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करते हैं।
- उग्रवाद राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही सीमित है और यह अपनी सरकार के ही खिलाफ प्रवृत्त है।

3.2. राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत

(National Security Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पठानकोट पर हुए हमलों के परिणामस्वरूप विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर आसन्न खतरे पर तत्काल ध्यान दिये जाने पर बल दिया है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबधित मुद्दे

- सुरक्षा सम्बन्धी खतरों से निपटते समय उचित कार्रवाई का चयन न करना: जैसे पठानकोट हमले का सामना करने के लिए NSG कमाण्डो को बुलाना एक असंगत कदम था क्योंकि स्थानीय इलाके से परिचित प्रशिक्षित सैन्यकर्मी पहले से ही मौजूद थे। ऐसा ही मुंबई हमले के दौरान देखने को मिला था, उस समय NSG को घटना स्थल पर पहुँचने में काफी देरी हुई थी क्योंकि बेस कैम्प पर कोई वायुयान नहीं था जिससे उन्हें तुरंत घटना स्थल पर पहुंचाया जा सके।
- खुफिया जानकारी की उपेक्षा या उसपर कार्रवाई न करना।
- सुरक्षा एजेंसियों के मध्य समन्वय की भारी कमी होने के कारण अनावश्यक रूप से नुकसान उठाना।
- असफलता के बाद किसी भी एजेंसी का कोई उत्तरदायित्व सुनिश्चित न किया जाना।

राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत भारत के लिए क्यों आवश्यक हैं:

- ऐसे हमलों के समय त्वरित एवं सार्थक निर्णय, सुरक्षा सम्बन्धी खतरों से निपटने के लिए तत्काल उचित कार्रवाई के चयन में सहायक होगा।
- तत्काल उचित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्णय, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में निहित रणनीति के अनुसार ही लिए जायेगें ।

VISION IAS

- केंद्रीय एवं संघीय दोनों ही स्तरों पर स्थापित सुरक्षा अधिष्ठानों के मध्य तालमेल को बनाये रखने में मदद मिलेगी। इस तरह का तालमेल किसी भी तरह के आतंकी हमले से बचाएगा।
- ये सुरक्षा संबंधी सिद्धांत, किसी भी आतंकी घटना को रोकने में हुई विफलता के लिए सुरक्षा अधिष्ठानों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करेंगे।
- शीघ्र एवं सफल संचालन देश में शांति, विकास एवं उन्नति को बढ़ावा देगा/सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत/रणनीति (NATIONAL SECURITY DOCTRINE) क्या है?

- कोई भी सिद्धांत विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों (डोमेन) जैसे- विदेशी मामले, सेना इत्यादि के लिए सरकार की नीति का एक घोषित नियम होता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत** एक दस्तावेज़ है, जो सरकार को सुरक्षा के रणनीतिक एवं परिचालन संबधी मामलों में मार्गदर्शन देता है।
- सिद्धांत में वर्णित विभिन्न परिस्थितियों में **राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत** का प्रयोग विभिन्न रणनीतियों, युक्तियों एवं विशिष्ट संचालन के माध्यम से होता है।
- वर्तमान में, भारत में केवल रक्षा संस्थानों के ही बाह्य सुरक्षा हेतु अपने सिद्धांत हैं।

3.3. अफ्स्पा [AFSPA]

3.3.1.मेघालय में अफ्स्पा

[AFSPA in Meghalaya]

पृष्ठभूमि:

- मेघालय उच्च न्यायालय ने उग्रवाद प्रभावित **गारो हिल्स क्षेत्र** में कानून का शासन बहाल करने में प्रशासन की मदद के लिए केंद्र सरकार को **सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम [AFSPA], 1958** लागू करने पर विचार करने का निर्देश किया है।
- ASAK(Achik Songna An'pachakgipa Kotok) उग्रवादियों द्वारा खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी तथा एक व्यापारी के अपहरण एवं हत्या तथा गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी द्वारा एक सरकारी कर्मचारी के अपहरण के मद्देनजर उच्च न्यायालय का यह आदेश काफी महत्वपूर्ण है।
- यह कदम अतिवादी हो सकता है, किन्तु उच्च न्यायालय का यह आदेश कानूनी प्रभावों से युक्त है। इस कारण ऐसी स्थिति आ गयी है कि केंद्र सरकार जो इस अधिनियम को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है, अब इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पर विचार कर रही है।

<u>अफ्सपा को लागू करने के लिए कानूनी आधार</u>

केंद्र सरकार सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 को लागू कर सकती है। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बहाल करने और बनाए रखने के लिए प्रशासन की सहायता करना है। इसके तहत क्षेत्र में केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाती है।

पक्ष में तर्क

- गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी जैसे सशस्त्र उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसक गतिविधियों के बावजूद **<u>मेघालय में AFSPA (अफ्सपा) लागू नहीं</u>** है।
- लेकिन असम से लगी सीमा के 20 किलोमीटर अन्दर तक का क्षेत्र इस कानून के दायरे में हैं। गृह मंत्रालय ने इस क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है और असम में तैनात सशस्त्र बलों को इस क्षेत्र में जाने की अनुमति दी गयी है।
- यह मुद्दा मेघालय की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और न्यायपालिका का मानना है कि इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य के पास क्षमताओं का अभाव है।

विपक्ष में तर्क

- मेघालय निवारक निरोध अधिनियम और मेघालय लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम जैसे कानूनों के प्रति राज्य में असंतोष की भावना है।

VISION IAS

- **'अशांत क्षेत्र'** में AFSPA कानून के विस्तार का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है। यह केवल राज्य या केंद्र सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।
- न्यायपालिका को सरकार की शक्तियों को नियंत्रण में रखना चाहिए और AFSPA जैसे असाधारण कानूनों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए परन्तु न्यायपालिका सरकार से मेघालय में AFSPA लागू करने की माँग करके ऐसे क़ानून को बढ़ावा दे रही है।
- गारो हिल्स में AFSPA के विस्तार की सिफारिश करने से मेघालय उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपनी भूमिका सीमित कर ली है।
- न्यायपालिका का यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ असंगत है। AFSPA को लागू करना मानव अधिकारों का उल्लंघन है और समकालीन कानून और आधुनिक न्यायशास्त्र की पवित्रता का भी उल्लंघन है।

3.3.2. न्यायेत्तर हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

[Supreme Court Judgment on Extrajudicial Killings]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि विभिन्न सशस्त्र बल **"अशांत क्षेत्र"** में अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान हुई ज्यादतियों के लिए जांच से बच नहीं सकते हैं।

निर्णय

- उक्त निर्णय उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर के सैकड़ों परिवारों के एक याचिका के संदर्भ में आया है जिसमें सेना और पुलिस द्वारा **1,528** मामलों में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच, **विशेष जाँच दल** द्वारा कराने की मांग की गयी है।
- अदालत ने ऐसे 62 विशिष्ट मामलों में सारणीबद्ध जानकारी मांगी है, जहाँ इस बात के कोई सबूत हैं कि ऐसे मामलों में हुई मृत्यु वस्तुतः वास्तविक ऑपरेशनल जनहानि न होकर **गैरन्यायिक हत्याएं या फर्जी मुठभेड़** थीं।
- अदालत ने स्वीकार किया है कि सशस्त्र बलों को अतिरिक्त शक्तियां **आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए** दी गयी हैं। हालांकि, यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि यह गैरन्यायिक हत्याओं के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता।
- अशांत क्षेत्र में **"मुठभेड़" के चलते हुई हत्याओं** के लिए एक विस्तृत जांच आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि **"कथित दुश्मन हमारे देश के ही नागरिक हैं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) सहित सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।"**

निर्णय का प्रभाव

- मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है।
- यह आवश्यक कदम दण्ड-मुक्ति को समाप्त करने के रूप में AFSPA को निरस्त करने की मांग को गति दे सकता है।

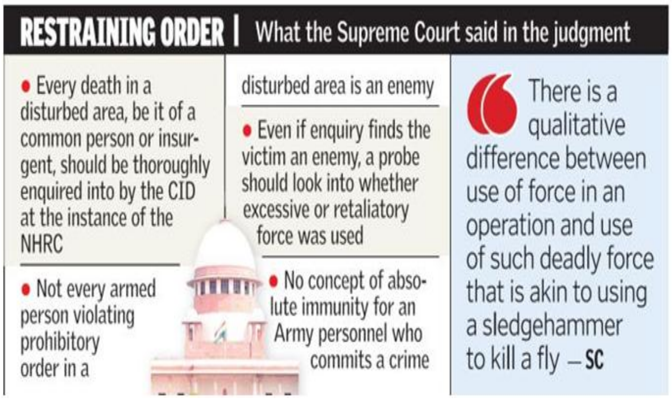

VISION IAS

AFSPA के निरसन की मांग

- **न्यायमूर्ति वर्मा आयोग** ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुरक्षा बलों के कुछ लोग, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उन्हें भी सामान्य नागरिकों पर लागू होने वाले कानूनों के तहत सजा मिलनी चाहिए।
- 2005 में **जीवन रेड्डी समिति** ने कहा कि AFSPA को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और जो उपबंध आवश्यक हैं उन्हें अन्य अधिनियमों में शामिल किया जाना चाहिए।
- खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख **श्री आर एन रवि** ने कहा है कि AFSPA क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ी बाधा है।

3.4. आतंकवाद

(Terrorism)

आतंकवाद: आतंकवाद राजनैतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों के लिए हिंसा के साधन के रूप में योजनाबद्ध, संगठित और व्यवस्थित उपयोग है।

3.4.1. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय

(Comprehensive Convention On International Terrorism)

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित एक मसौदा है, जिसे अभी तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत नहीं किया जा सका है।

मूल मसौदा 1996 में पेश किया गया और अप्रैल 2013 तक इस पर चर्चा की गई, इसमें शामिल प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा होनी चाहिए, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 193 सदस्य अपने आपराधिक कानून में अंगीकृत करेंगे। अच्छे आतंकवादी या बुरे आतंकवादी, ऐसी कोई संकल्पना नहीं होगी।
- सभी आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना और उनके घोषित उद्देश्यों की परवाह किए बिना आतंकी शिविरों को बंद करना,
- विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना, और
- पूरे विश्व में सीमा पार आतंकवाद को एक प्रत्यर्पणीय अपराध बनाना।

CCIT का विरोध

- अमेरिका और उसके सहयोगी:
  - ✓ आतंकवाद की परिभाषा को लेकर चिंता।
  - ✓ अमेरिका, विशेष रूप से अफगानिस्तान और इराक में हस्तक्षेप के संबंध में अपने सैन्य बलों के लिए CCIT के अनुप्रयोग के बारे में चिंतित है।
- लैटिन अमेरिकी देश:
  - ✓ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानव अधिकार पर चिंता की अनदेखी की जा रही है।
- OIC देश:
  - ✓ OIC देश यह मानते हैं कि अभिसमय का इस्तेमाल पाकिस्तान को लक्षित करने के लिए किया जाएगा और फिलिस्तीन, कश्मीर एवं दुनिया में अन्य कहीं भी स्वतंत्र समूहों के अधिकारों को इसके माध्यम से सीमित किया जाएगा।

VISION IAS

विभिन्न देशों की चिंताओं को समायोजित करने के लिए मसौदे में परिवर्तन

- भारत ने मसौदे में परिवर्तन किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि **"सशस्त्र संघर्ष के दौरान सशस्त्र बलों की गतिविधियां"** वर्तमान अभिसमय द्वारा शासित नहीं होगी।
- भारत अधिकारों की बात करने के उद्देश्य से "आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करने" के लिए **"peoples" शब्द** जोड़ने को सहमत हो गया है।

3.4.2. आतंक से लड़ने के लिए अन्य देशों के साथ भारत का सहयोग

(India's Cooperation with Other Countries to Fight Terror)

आतंरिक सुरक्षा पर भारत-अमेरिका सहयोग

- 2011 में अमेरिका-भारत होमलैंड सुरक्षा संवाद शुरू किया गया था जो दोनों देशों के बीच अपने देश (होमलैंड) की सुरक्षा के मुद्दे पर **पहला व्यापक द्विपक्षीय संवाद** था।
- यह संवाद गृह मंत्रालय और US होमलैंड सुरक्षा विभाग के द्वारा समन्वित होमलैंड सुरक्षा को मजबूत करने से जुड़ी **गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र** को सम्मिलित करता है।
- इसने अन्वेषणों, क्षमता निर्माण, खतरों का निस्तारण करने में सामरिक सहयोग को बढ़ाया है।
- ब्यूरो ऑफ़ डिप्लोमेटिक सिक्यूरिटी द्वारा संचालित यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट एंटी टेररिज्म असिस्टेंस प्रोग्राम (ATA) ने पिछले एक वर्ष में 250 से अधिक भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भारत और अमेरिका दोनों के कोर्स (courses) में ट्रेनिंग दी।
- हर वर्ष भारत के हजारों पुलिस अधिकारियों की क्षमता बढाने के लिए औसतन दस "Trains the Trainer" नामक ATA प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अमेरिका द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं । यह प्रशिक्षण सीनियर क्राइसिस मैनेजमेंट, अन्वेषण तकनीक, बम विस्फोट घटनाओं को रोकने के उपाय और सामुदायिक निगरानी जैसे क्षेत्रों में भारतीय प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।

भारत-अमेरिका: आतंकवाद विरोधी तंत्र में सहयोग

(India-USA: Cooperation in Anti-Terror Mechanism)

गृह मंत्रालय ने अमेरिका की **आतंकवादी स्क्रीनिंग सेंटर** (Terrorist Screening Center (TSC)) द्वारा बनाए गए वैश्विक आतंकी डेटाबेस में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया।

- TSC के डेटाबेस में 11,000 संदिग्ध आतंकियों का विवरण है। डेटाबेस में उनकी राष्ट्रीयता, फोटो, फिंगर प्रिंट, पासपोर्ट नंबर आदि शामिल है।
- अमेरिका पहले से ही 30 देशों के साथ ऐसे समझौतों को अंतिम रूप दे चुका है।
- रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) और खुफिया ब्यूरो (IB) ने भारत में आतंकी संदिग्धों के डेटाबेस तक संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्बाध पहुंच प्रदान करने का विरोध किया था।

आतंक से लड़ने वाले शहरों के वैश्विक नेटवर्क में मुंबई

- उग्रवाद का सामना करने और साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने हेतु **तकनीकों के आदान-प्रदान और ढांचा विकसित करने** के लिए बने **अंतर्राष्ट्रीय शहरों के नेटवर्क में** अब मुंबई शामिल हो गया है।
- **UN के स्तर पर** बने इस नेटवर्क ने महाराष्ट्र सरकार को उग्रवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा तंत्र की किलेबंदी करने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने में मदद करने का वादा किया है।
- हाल में आतंकी गतिविधियों से प्रभावित रहा मुंबई 25 अंतर्राष्ट्रीय शहरों के इस नेटवर्क में एकमात्र एशियाई शहर है।

VISION IAS

- आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तकनीक के आदान-प्रदान और आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए यह ग्रुप इन शहरों के बीच साझा मंच की तरह काम करेगा।
- 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में हुई। इस सम्मेलन में उन्होंने एक कोष बनाने का निर्णय लिया।
- इस नेटवर्क में शामिल अन्य महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क, लन्दन, पेरिस, डेनवर, ओस्लो, स्टॉकहोलम, मोंट्रियल और कोपेनहेगेन हैं।
- इनके चुनाव का एकमात्र पैमाना यह था कि वह शहर अपने देश की **आर्थिक गतिविधियों का केंद्र** हो और आतंकवाद से प्रभावित रहा हो।

3.4.3. "लोन वुल्फ" - स्टाइल आतंकवादी हमले

("Lone Wolf"- Style Terrorist Attacks)

हाल ही में **ऑरलैंडो, फ्लोरिडा** में बड़े पैमाने पर हुई गोलीबारी की घटना ने एक बार फिर दुनिया भर में लोन वुल्फ स्टाइल के आतंकवादी हमले के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से इस तरह के आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं।

इस तरह के हमलों के कारण

- इस तरह के हमलों में हमलावर कथित तौर पर स्वयं के साधनों से हमला करता है। इस प्रकार का हमला किसी भी स्थापित विद्रोही समूह या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की सामरिक या वित्तीय सहायता के बिना किया जाता है।
- यह IS जैसे आतंकवादी समूहों के लिए कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में आतंक फैलाने का एक कारगर तरीका है।
- लोन वुल्फ आमतौर पर सुरक्षा रडार की पहुँच से बाहर रह जाते हैं।
- ज्यादातर हमलावर सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री तक पहुँच द्वारा कट्टरपंथी उग्रवादी विचारधारा से स्वप्रेरित होते हैं।
- अमेरिका में वर्तमान बंदूक की बिक्री का परिवेश, स्वप्रेरित कट्टरपंथियों को आसानी से हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करने तथा पर्याप्त मात्रा में बंदूक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की उपलब्धता को सहज बना देता है।
- ओरलेंडो में जनसमूह पर हुआ हमला प्रतिगामी धार्मिक सिद्धांत (regressive religious doctrine) द्वारा समर्थन प्राप्त (reinforced) होमोफोबिया से उत्पन्न एक आतंकी हमला है।

3.4.4. आतंकवाद विरोधी सम्मेलन

(Counter-Terrorism Conference), 2016

सुर्खियों में क्यों?

- भारत के राष्ट्रपति ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2016 के दूसरे भाग का जयपुर में उदघाटन किया।
- इस सम्मेलन का विषय "टैकलिंग ग्लोबल टेरर आउटफिट्स (Tackling Global Terror Outfits)" था।
- इस सम्मेलन में फील्ड संचालकों, सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों, सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया जोकि आतंकवाद विरोधी कार्रवाईयों, योजनाओं तथा जागरूकता अभियानों का हिस्सा थे।

चर्चा के मुद्दे क्या थे?

- किसी भी कारण अथवा स्रोत पर आधारित आतंकवादी तरीकों को उचित न ठहराने का संकल्प लेने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- आतंकवाद विरोधी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्षमता निर्माण के माध्यम से हमलों को रोकने का प्रयास करना है, इसके अंतर्गत आसूचनाओं का संग्रहण और मिलान, तकनीकी क्षमताओं का विकास, विशेष बलों तथा विशेष कानूनों का निर्माण करना शामिल है।
- आतंकवाद विरोधी प्रयासों को अधिक स्पष्ट, अधिक केन्द्रित, अधिक वस्तुनिष्ठ तथा अधिक पेशेवर होना चाहिए।
- पूर्व में विकसित आतंकवाद विरोधी तंत्रों को और सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- हम एक बहुधर्मी, बहुभाषी, तथा बहुजातीय राष्ट्र हैं। ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा अपने लाभ के लिए तथा आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा सकता है।

आतंकवाद का राजनीतिक प्रबंधन

- राजनीतिक प्रबंधन के अंतर्गत विचारधारा से संबंधित मुद्दे को संबोधित करना और
- उन राष्ट्रों से निपटना शामिल है जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं या समर्थन देते हैं।

साइबरस्पेस- आतंकवाद को सामर्थ्य प्रदान करने का एक साधन

- हाल ही में आतंकवादियों की 'डू इट योरसेल्फ' पीढ़ी से नया खतरा उत्पन्न हो रहा है, ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये बम बनाने तथा सुसाइड अटैक से संबंधित जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करते हैं।
- साइबरस्पेस में संदिग्ध गैर कानूनी सूचनायें तथा गतिविधियां पूरी दुनिया में आतंकी हमलों को सामर्थ्य प्रदान करने के साधन के रूप में कार्य कर रही हैं।

आतंकवाद से निपटने में नागरिक संगठनों की भूमिका

- नागरिक समाज सीमान्त क्षेत्र तथा युद्ध क्षेत्र दोनों हैं, जिनको सुरक्षित रखने तथा बचाने की आवश्यकता है।
- नागरिक समाजों के विघटन के फलस्वरूप अतिवाद को बढ़ावा मिलता है जिससे अंततः प्रतिस्पर्धी हिंसा में वृद्धि होती है|
- सामाजिक एकता को बनाए रखने में थिंक टैंक तथा नागरिक समाज संगठन की अहम भूमिका होती है।
- हर किसी को संवेदनशील होना चाहिए तथा आतंक विरोधी तरीकों के लिये तैयार रहना चाहिए।

आतंकवाद से निपटने के लिए बहुआयामी तथा बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता

- इस अभिशाप को हर स्तर पर चुनौती देने की आवश्यकता है।

✓ उदाहरण के लिए- लोक मत का निर्माण, समाज निर्माण तथा अंतराष्ट्रीय सहयोग तथा आसूचनाओं के आदान-प्रदान पर आधारित एकीकृत आतंकवाद विरोधी नीति का विकास।

- ध्यातव्य है कि आतंकवाद से पीड़ित लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग नहीं करते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जाये।

3.4.5. बेल्जियम में आतंकी हमला

(Terror Attack in Belgium)

घातक विस्फोटो की एक श्रृंखला ने बेल्जियम की राजधानी को हिलाकर रख दिया, इसमें मुख्य हवाई अड्डे ज़ावेंतेम (Zaventem) और शहर की मेट्रो प्रणाली को निशाना बनाया गया।

- कम से कम 34 लोग ज़ावेंतेम हवाई अड्डे और मैलबीक (Maelbeek) मेट्रो स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में मारे गए।
- ब्रुसेल्स, जहाँ यूरोपीय संघ के प्रमुख संस्थानों मुख्यालय है, यूरोप की वास्तविक राजधानी है।

VISION IAS

इस्लामिक स्टेट (IS) आतंकवादी समूह

- इस्लामिक स्टेट समूह ने ब्रुसेल्स में बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है जिसका हाथ पेरिस हमलों के पीछे था।
- हाल के महीनों में इस्लामिक स्टेट ने पेरिस से अंकारा तक दुनिया भर में कई हमले किये हैं।

इस्लामिक स्टेट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर हमला क्यों किया जा रहा है?

- **तथाकथित 'खिलाफत' (Caliphate)** के चक्कर में इस्लामिक स्टेट को कई **सैन्य असफलताओं** का सामना करना पड़ रहा है।
- सार्वजनिक स्थानों पर हमला करने और निर्दोष लोगों को मारने का मूल कारण है:

✓ पहला, 'खिलाफत' (Caliphate) के क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाना है। IS अन्य देशों में आतंकवाद का प्रसार करना चाहता है और इस रूप में 'प्रासंगिकता' बनाए रखना और अधिक संख्या में नए सदस्यों को प्राप्त करना चाहता है।

✓ दूसरा एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि IS आधुनिक विश्व की सभ्यता के मूल्यों के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। जनता पर हमला करके यह स्वतंत्र और खुले समाज में दहशत पैदा करना चाहता है तथा उनकी सामाजिक एकता को तोड़ कर इसका लाभांश लेना चाहता है।

बेल्जियम क्यों?

- बेल्जियम सालों से आतंकवाद विरोधी अधिकारियों की नज़र में रहा है क्योंकि बड़ी संख्या बेल्जियन विदेशी लड़ाकों ने ISIS तथा **सीरिया और इराक** में अन्य आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कूच किया है।
- किसी भी पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र की तुलना में बेल्जियम के **प्रति व्यक्ति विदेशी लड़ाकों की संख्या सीरिया में सबसे ज्यादा** है।
- कई शहरों में इस्लामी सेल मौजूद रहे हैं लेकिन ये सबसे अधिक सक्रिय ब्रुसेल्स में और विशेष रूप से **मैलबीक (Maelbeek) के दक्षिण-पश्चिमी उपनगर** में हैं– यह मोरक्को नृजाति की उच्च जनसंख्या का क्षेत्र है और यहाँ बेरोजगारी की उच्च दर भी व्याप्त है।
- ब्रुसेल्स पर आतंकी हमला बदला लेने के इरादे से नहीं किया गया है बल्कि यह **तीव्र कट्टरता से सम्बंधित है जो समुदायों में और पड़ोस में गहराई से व्याप्त** हो गई है।

3.4.6. सार्क देशों में सीमापार आतंकवाद से निपटना

(Tackling Cross-Border Terrorism in SAARC Nations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने सार्क के सदस्य देशों के लिए एक उभयनिष्ठ अदालत(common court) की स्थापना का सुझाव दिया है। इसे नकली नोटों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा 26/11 जैसे सीमापारीय आतंकी हमलों और अपराधों से निपटने के लिए एक कदम के रूप में सुझाया गया है।

लाभ

- ऐसी अदालत जो सभी **सार्क देशों के न्यायाधीशों** से मिलकर बनी होगी, से त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही यह सीमापार मामलों पर सहयोग सुनिश्चित करेगा।
- यह भी सुझाव दिया गया है कि **सार्क देशों के न्यायाधीशों के लिए एक साझी सुरक्षित वेबसाइट** बनाई जाए। यह वेबसाइट आतंकी संगठन और उनके आकाओं द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों और उपकरणों और आतंकवादियों के काम करने के ढंग के विषय में सूचना का आदान-प्रदान करेगी।

चुनौतियां

- विशेषज्ञों की राय है कि इस विचार को लागू करना मुश्किल होगा क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि हस्ताक्षरित नहीं है।

VISION IAS

- राज्य (पाकिस्तान) एजेंसियाँ जैसे ISI और सेना, आतंकी समूहों के सहयोग में लगी हुई हैं।
- भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी है।
- पाकिस्तान ने यह कभी स्वीकार नहीं किया है कि भारत विरोधी आतंकवादी संगठन उसके क्षेत्र में फल-फूल रहे हैं
- अफगानिस्तान में आंतक, सरकार को नियंत्रित करने का एक साधन बन गया है।

3.4.7. बांग्लादेश में आतंकवादी हमला

(Terrorist Attacks in Bangladesh)

पृष्ठभूमि

- ढाका के एक पॉश इलाके के कैफे में 6 बंदूकधारियों सहित 28 लोग मारे गए। IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला मुंबई में हुए 26/11 हमले की तर्ज पर किया गया था।

भारत के लिए चिंता

- दक्षिण एशिया में IS की बढ़ती उपस्थिति
- बांग्लादेश समाज में बढ़ रही असहिष्णुता- सरकार का अपने लोगों पर नियंत्रण कम हो रहा है, विशेषत: उनपर जो उदार और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ हैं; बांग्लादेशी धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर्स, LGBT समुदाय आदि जिनमे से कोई भी इस्लामी चरमपंथियों की कथित धर्मपरायणता की एक विशिष्ट परिभाषा में फिट नहीं बैठता है, उनके खिलाफ लक्षित आतंकवादी हमलों (पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक) की संख्या बढती जा रही है।
- शेख हसीना सरकार राजनीतिक रूप से कमजोर हुई है और बांग्लादेश में लोकतंत्र जीवंत नहीं है।वर्तमान में वहां विपक्ष नहीं है जो असंतोष को बढ़ा सकता है, जिसका फायदा केवल चरमपंथियों को होगा।
- एक कमजोर और कट्टरपंथी बांग्लादेश भारतीय हित में नहीं है; लंबी सीमा, एक समान समाज, उत्तर-पूर्व के लिए कनेक्टिविटी आदि; बांग्लादेश के साथ बढ़ रहा सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है।

आगे का रास्ता

- वर्तमान आवामी लीग सरकार द्वारा बांग्लादेश में विपक्ष के साथ जिस प्रकार कठोर व्यवहार किया जा रहा है उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, वहां की जनता और विशेष रूप से युवाओं की शिकायतें सुनी जानी चाहिए।
- सरकार को आतंकवादी संगठनों की बढ़ती मौजूदगी को अवश्य स्वीकार करना चाहिए और इससे लड़ने के लिए रणनीति विकसित करनी चाहिए। इसके लिए व्यापक समर्थन और एक टिकाऊ नीति का निर्धारण विपक्षी दलों के सहयोग से किया जाना चाहिए ।
- विपक्षी दलों को भी अधिक परिपक्व होना चाहिए, इसे एक राजनीतिक अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए।

3.4.8. पेरिस हमला

(Paris Attacks)

- सीरिया में ISIS (Daesh) के खिलाफ जारी अभियानों में फ़्रांस अग्रणी देशों में है।
- फ़्रांस में यूरोप की **सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों** में से एक निवास करती है जो राष्ट्रीय मुख्यधारा में अधिक एकीकृत नहीं है। मुख्यधारा में शामिल करने के फ़्रांस सरकार के गैर-दोस्ताना रवैये के खिलाफ उनमें नाराजगी है।

VISION IAS

मुंबई हमले की तुलना में पेरिस हमले का तुलनात्मक विश्लेषण

समानताएं:

- भय और दिल दहला देने वाला प्रभाव पैदा करके अर्थव्यवस्था और पर्यटन को निशाना बनाना
- शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय रेस्तरां और भोजन स्थान
- 'जीवित बचने की कोई उम्मीद नहीं ' ("no expectation of survival") के साथ आत्मघाती हमलावर
- कार्य को अंजाम देने का सटीक, बहुसंचालित एवं अनपेक्षित तरीका
- विभिन्न जगहों पर एक साथ हमला करती कई टीमें
- AK-47 से लैस और अंधाधुंध गोलीबारी
- Le Bataclan कंसर्ट हाल और होटल ताजमहल दोनों में बंधक बनाना
- कम-लागत संसाधन
- आम जनता को केंद्र में रखकर बड़े पैमाने पर हत्या; अपनी देश की सुरक्षा सीमा में ही नागरिकों पर निशाना
- खुफ़िया तंत्र की सटीकता में कमी

भिन्नताएं:

	पेरिस	**मुंबई**
राज्येतर कारक (Non State Actors) की भूमिका	ऐसा लगता है कि पेरिस हमले आत्म-निर्देशित थे	पाकिस्तान स्थित LeT नेतृत्व द्वारा योजनाबद्ध और निर्देशित। शुरू से अंत तक, अंतिम जेहादी के मारे जाने तक पेशेवर हैंडलर्स द्वारा निगरानी की गयी थी एवं ये सूक्ष्मता से संचालित किये गये थे।
प्रेरणा	कलंकित करने की भावना	पैसे और बेहतर भविष्य प्रेरणास्रोत
हमलावरों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि	अरब मूल के यूरोपियन। पांच फ्रांसीसी और शेष बेल्जियन नागरिक जो सम्बंधित देशों में ही पैदा हुए थे और उनका यह कार्य उनकी स्थानीय परिस्थितियों से काफी जुड़ा हुआ था	गरीब वर्ग के नौजवान जो पैसे और बेहतर भविष्य के लिए जिहाद से जुड़े।
संचार के आधुनिक उपकरण	ज्यादातर प्रयोग नहीं किया गया	हाँ, GPS समन्वयन, सेटेलाईट संचार और जीवंत प्रसारण
अन्य हितधारिकों का प्रदर्शन – अस्पताल	अच्छी तरह से सुसज्जित अत्याधुनिक सुविधाएं	हमारे अस्पताल इस तरह के बड़े नरसंहार से निपटने के लिए तैयार नहीं थे
जनता की प्रतिक्रिया	खुले दिल से स्वयंसेवा	मदद या पीड़ितों के रिश्तेदारों तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई स्वयंसेवक नहीं थे जो हमने बाद में सुसंगत नेटवर्क के माध्यम से किया

VISION IAS

भारतीय परिदृश्य

- भारत के लिए ISIS एक वर्तमान और स्पष्ट खतरा है। इससे पहले की यह संगठन किसी घटना को अंजाम दे, हमें इससे निपटना होगा।
- हालांकि भारतीय एजेंसियां किसी आसन्न खतरे की सम्भावना से इनकार कर रही हैं फिर भी यह स्पष्ट है कि देश में IS की कार्यशैली से मिलते-जुलते हमले की काफी संभावना है- जो **बहुत कम लागत में बड़ी तबाही पैदा कर सकता है।**
- स्थानीय शिकायतों की वैश्विक गूँज और IS प्रचार के झांसे में आने की सम्भावना का राजनीतिक सत्ता को सामना करना होगा।

भारत की तैयारी का स्तर

- आतंकवाद से निपटने में हमारी तकनीकी, उपकरणीय और मानव संसाधन के स्तर पर तैयारी अभी भी निराशाजनक है।
- 26/11 के हमलों के बावजूद, अभी भी भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियां आगामी हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं।

निष्कर्ष

इसलिए यह आवश्यक है कि भारत हर तरह के अतिवाद को नियंत्रित करे, संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से एजेंसियों को सुसज्जित करे एवं उन्हें लगातार निगरानी में रखे।

3.4.9. पठानकोट हमला

(Pathankot Attack)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 2 जनवरी 2016 को हथियारों से लैंस एक समूह ने पठानकोट एअर फोर्स स्टेशन पर हमला किया, जो भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का एक भाग है।

भारत-पाक वार्ता पर इन हमलों का प्रभाव

- पठानकोट हमला भारत-पाक संबन्धों को कमज़ोर करने हेतु पहले से चले आ रहे हमलों का ही एक भाग हैं।
- लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों का संबन्ध पाकिस्तानी सेना से हैं, इनके द्वारा किये गये हमले नियमित रूप से संबधों को प्रभावित करते रहे हैं।
- एक शोध से पता चला है कि इन हमलों का प्रभाव उतना प्रभावशाली नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में भारत में स्थिति नियंत्रण में है।

चिंता का विषय

- भारत की 'पाकिस्तान नीति' की अप्रभावशीलता।
- सीमा पार आतंकवाद को रोकने संबधी क्षमता का अभाव।
- अभी तक भारत के पास सुरक्षा से संबधित कोई लिखित रणनीति या सिद्धांत नहीं है तथा जिनका प्रयोग सिद्धांत या रणनीति के तौर पर किया जाता है, वह अत्यंत अव्यवहारिक हैं।
- राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक सहमति का अभाव।
- आतंकियों द्वारा कैंप में आसानी से प्रवेश एक बड़ी सुरक्षात्मक चूक है।
- एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव।
- विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के मध्य तालमेल का अभाव।
- एक मजबूत नियत्रंण तंत्र एवं सशक्त निर्देशन का अभाव।
- सूचना तंत्र में कई सारी कमियाँ हैं-

✓ सटीक सूचनाओं को नजरअंदाज किया गया।

✓ चेतावनी के बाद भी पठानकोट सैन्य हवाई अड्डे की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया।

VISION IAS

- ✓ इस एयरफोर्स स्टेशन के पास ही सेना के एक विशेष बल की इकाई की मौजूदगी के बावजूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) को भेजा गया।
- ✓ सीमा सुरक्षा बल का अप्रभावी होना ।
- ✓ निगरानी उपकरण एवं नाइट विजन उपकरणों का अप्रभावशाली होना।

पठानकोट हमले से सीख

पाकिस्तान सरकार और गैर-राज्य इकाइयों(नान स्टेट एक्टर) के बीच अन्तर स्पष्ट करते हुए एक मजबूत/कुशल राजनीतिक सख्ती का पालन किये जाने की आवश्यकता है।

- ऐसे हमलों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
- ✓ प्रस्तावित सुरक्षा सिद्धांत संविधान के आधारभूत मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए।
- ✓ इस प्रकार का सिद्धांत अवश्य ही **राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति** के साथ होना चाहिए, जो आतंकी हमलों जैसी घटनाओं के लिए कमान और नियंत्रण संरचनाओं की व्याख्या करे।
- NATGRID को पुनः जीवित करना
- देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक सामंजस्य की नितांत आवश्यकता है, जिसका विकास सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।
- एयर फोर्स बेस के चारों तरफ सुरक्षा को और बढ़ाया जाए।
- इस तरह के हमले दोबारा हो सकते हैं इसलिए भारत को परमाणु अधिष्ठानों, नौसैनिक ठिकानों सहित भारतीय राजनयिक मिशनों की सुरक्षा के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता है।
- पंजाब वर्तमान में भ्रष्टाचार एवं ड्रग ट्रेफिकिंग (नशीली दवाओं के कारोबार) से बुरी तरह ग्रसित हैं और भारत इस तरह की अव्यवस्था का सामना नहीं कर सकता वो भी तब जब उसकी भौगोलिक सीमा रणनीतिक महत्व रखती हो।
- भारत को कूटनीतिक कदम उठाते हुए अमेरिका को पाकिस्तान पर सख्ती अपनाये जाने के लिए बाध्य करना होगा।
- सीमा पार आतंकवाद से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए भारत को एक प्रभावशाली एवं अनिवार्य प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए और जब आतंकवाद से सामना करने की बात हो तब केन्द्र-राज्य संबंधों के साथ-साथ नागरिक-सैन्य सहयोग को भी और सुधारे जाने की आवश्यकता है।
- इस तरह के भय/आतंक से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा, सूचना एवं आतंरिक सुरक्षा में गुणोत्तर सुधार ही सर्वोत्तम सुरक्षात्मक उपाय हैं।

VISION IAS

4. आंतरिक सुरक्षा में प्रौद्योगिकी, संचार, मीडिया और सोशल मीडिया

(Technology, Communication, Media And Social Media In Internal Security)

4.1. भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक, 2016 का मसौदा

(Draft Geospatial Information Regulation Bill, 2016)

भू-स्थानिक सूचना विधेयक मसौदा में भारत की भू-स्थानिक जानकारी के बारे में कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों का एक फ्रेमवर्क लाने की योजना है।

Home Ministry vs Department of Science & Technology

The Geospatial Information Regulation Bill, 2016	National Geospatial Policy 2016
• Aims at regulating the use of mapping data	• Aims at encouraging the widespread use of mapping data
• Bans the use of maps without government licence	• Permission needed only when the portion lies under restricted access
• Fines of ₹1 crore-100 crore if a firm or individual uses maps/ geospatial information without permission	• Does not recommend any new prosecution since it says most issues can be covered under existing laws
• Restricts use of maps, collecting aerial images and GPS coordinates by any means without a licence	• Recommends minimal regulation as it says existing laws are enough to deal with security issues
• Bill applicable to any firm or individual creating, using or doing value add to geospatial data. Also applicable to people sharing locations on social media	• The policy is applicable to geospatial data based products, solutions and services offered by governments, private organisations, NGOs and individuals
• No suggestion on how anyone will know what is a sensitive map	• Suggests segregation of maps in three categories: open access, registered access and classified access
• No geospatial data already available can be used without taking a licence from the government	• Geospatial data being disseminated both internationally and nationally to be treated as unclassified and made available by Indian mapping and imaging agencies

विधेयक की आवश्यकता

- बढ़ते हुए उपयोग और उपयोगकर्ताओं की बढती हुई संख्या के मद्देनजर विकसित होते हुए भू-स्थानिक क्षेत्रक का नियमन करना।
- व्यक्तियों और कंपनियों को नक्शे पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का गलत प्रदर्शन करने से रोकने के लिए और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की अवस्थिति और अन्य भू- सूचनाओं के अनावश्यक प्रसार को रोकने के लिए
- यह सुनिश्चित करना कि जम्मू-कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश का कोई हिस्सा विवादित क्षेत्र के रूप में ना दिखाया गया हो।

विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान

भू-स्थानिक सूचना का क्या मतलब है?

- अंतरिक्ष या आकाशीय माध्यमों यथा उपग्रह, विमान, वायुयान, गुब्बारे , UAV द्वारा किया गया भू-स्थानिक चित्रण या डिजिटल डाटा
- प्राकृतिक या मानव निर्मित भौतिक आकृतियों, घटनाओं या पृथ्वी की सीमाओं का आरेखीय या डिजिटल चित्रण
- सर्वेक्षण, चार्ट, नक्शे, निर्देशांकों और विशेषताओं सहित स्थलीय फोटो को संदर्भित करने वाली कोई भी संबंधित जानकारी;

अनुमति अनिवार्य

- किसी भू-स्थानिक जानकारी के वितरण करने, अर्जित करने, प्रसार करने या प्रकाशन करने से पहले सुरक्षा पुनरीक्षण प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा।
- **सुरक्षा पुनरीक्षण प्राधिकरण (Security Vetting Authority)**: यह प्राधिकरण, जो संगठन/ व्यक्ति भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें लाइसेंस प्रदान करेगा। यह "राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, भयमुक्तता और अखंडता की रक्षा करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ" उपलब्ध कराए गए सामग्री और आंकड़ों की जाँच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप हैं।

यह किसे प्रभावित करेगा?

- प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यवसायिक संगठन जो एक प्रमुख विशेषता के रूप में भू-स्थानिक जानकारी का उपयोग करता है। जैसे: गूगल, फेसबुक, ओला।

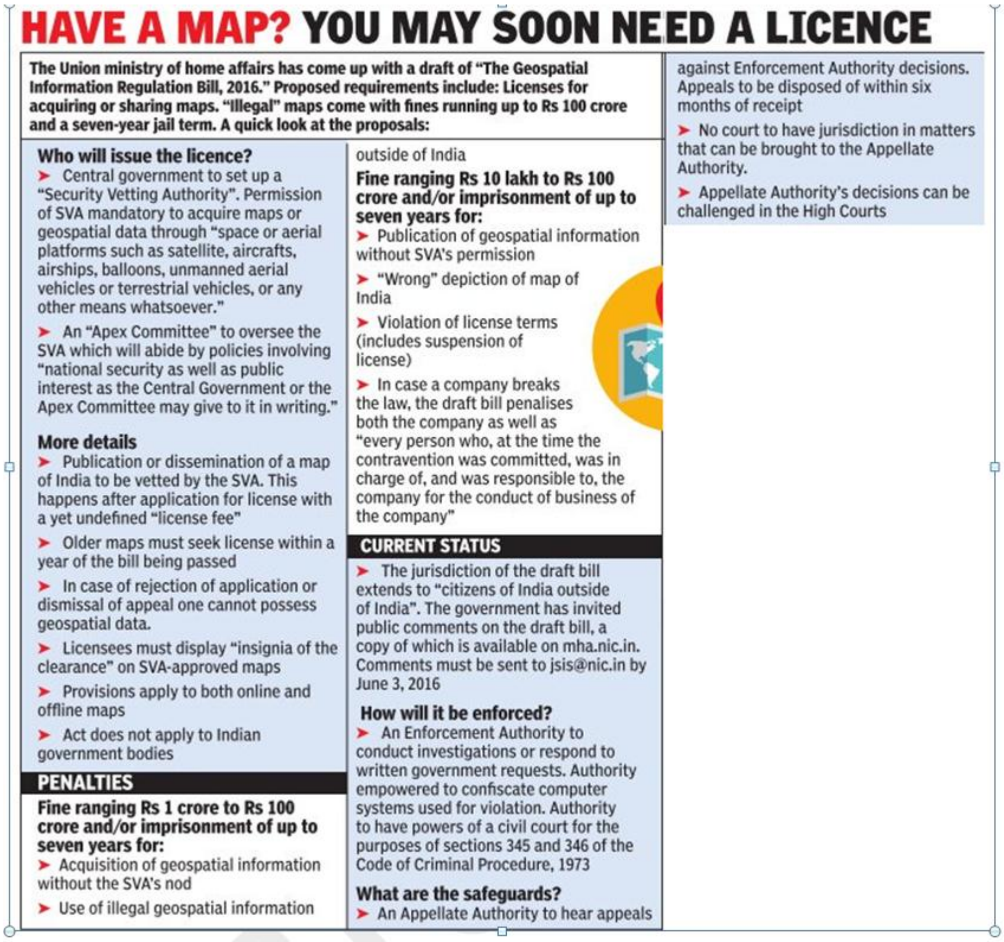

HAVE A MAP? YOU MAY SOON NEED A LICENCE

The Union ministry of home affairs has come up with a draft of "The Geospatial Information Regulation Bill, 2016." Proposed requirements include: Licenses for acquiring or sharing maps. "Illegal" maps come with fines running up to Rs 100 crore and a seven-year jail term. A quick look at the proposals:

Who will issue the licence?

- Central government to set up a "Security Vetting Authority". Permission of SVA mandatory to acquire maps or geospatial data through "space or aerial platforms such as satellite, aircrafts, airships, balloons, unmanned aerial vehicles or terrestrial vehicles, or any other means whatsoever."
- An "Apex Committee" to oversee the SVA which will abide by policies involving "national security as well as public interest as the Central Government or the Apex Committee may give to it in writing."

More details

- Publication or dissemination of a map of India to be vetted by the SVA. This happens after application for license with a yet undefined "license fee"
- Older maps must seek license within a year of the bill being passed
- In case of rejection of application or dismissal of appeal one cannot possess geospatial data.
- Licensees must display "insignia of the clearance" on SVA-approved maps
- Provisions apply to both online and offline maps
- Act does not apply to Indian government bodies

PENALTIES

Fine ranging Rs 1 crore to Rs 100 crore and/or imprisonment of up to seven years for:

- Acquisition of geospatial information without the SVA's nod
- Use of illegal geospatial information outside of India

Fine ranging Rs 10 lakh to Rs 100 crore and/or imprisonment of up to seven years for:

- Publication of geospatial information without SVA's permission
- "Wrong" depiction of map of India
- Violation of license terms (includes suspension of license)
- In case a company breaks the law, the draft bill penalises both the company as well as "every person who, at the time the contravention was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of business of the company"

CURRENT STATUS

- The jurisdiction of the draft bill extends to "citizens of India outside of India". The government has invited public comments on the draft bill, a copy of which is available on mha.nic.in. Comments must be sent to jsis@nic.in by June 3, 2016

How will it be enforced?

- An Enforcement Authority to conduct investigations or respond to written government requests. Authority empowered to confiscate computer systems used for violation. Authority to have powers of a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973

What are the safeguards?

- An Appellate Authority to hear appeals against Enforcement Authority decisions. Appeals to be disposed of within six months of receipt
- No court to have jurisdiction in matters that can be brought to the Appellate Authority.
- Appellate Authority's decisions can be challenged in the High Courts

उल्लंघन की दशा में जुर्माना

- भारत की भू-स्थानिक सूचना के अवैध संकलन के लिए- 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और / या सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास।
- भारत की भू-स्थानिक जानकारी के अवैध प्रसार, प्रकाशन या वितरण के लिए - 10 लाख रुपए रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और / या सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास।
- भारत के बाहर भारत के भू-स्थानिक जानकारी का प्रयोग करने पर- 1 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ तक का जुर्माना और / या सात वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास।

पाकिस्तान की आपत्ति

- पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है कि भारत के आधिकारिक मानचित्र में **जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र** को भारत के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया है जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी रूप से असमर्थनीय है।
- भारत ने विधेयक के मसौदे पर पाकिस्तान की आपत्तियों को यह कहते हुए "दृढ़ता" से खारिज कर दिया कि इस्लामाबाद को भारत के एक आंतरिक "विधायी मुद्दे" पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

विधेयक के मसौदे की चिंताएं

- प्रस्तावित भू-स्थानिक नियमन विधेयक, **नवाचार पारितंत्र** के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

✓ यह प्रतिबंध नए ऐप डेवलपर्स पर लागू होगा जबकि देश के बाहर लोगों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी।

VISION

- ✓ वर्तमान स्थिति में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसाय को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है जोकि भू-स्थानिक जानकारी को एकत्र करे या प्रकाशित करे। यह व्यक्तिगत डेवलपर्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा।
- ✓ विधेयक के दायरे का सामना करने मे छोटे व्यवसायों को वास्तव में मुश्किल आएगी। यह एक उपग्रह चित्र कंपनी से लेकर एक सेवाप्रदाता स्टार्ट-अप तक किसी को भी शामिल करता है।
- स्थानिक जानकारी के उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा पुनरीक्षण प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है।
- यह विधेयक कुछ परियोजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी के प्रतिकूल है जोकि सुचारू संचालन के लिए भू-स्थानिक जानकारी का दोहन करने की योजना बना रही हैं।
- बड़ी कंपनियों के पास सुरक्षा पुनरीक्षण की जांच से गुजरने के लिए पैसा है लेकिन नयी कंपनियों को इसमें मुश्किल आ सकती है।

4.2. इंटरनेट सर्विलांस

(Internet Surveillance)

यह क्या है?

कम्प्यूटर गतिविधियों तथा हार्डड्राइव में संग्रहित आँकड़ों का कम्प्यूटर नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर डेटा स्थानान्तरण की निगरानी करना ही कम्प्यूटर और नेटवर्क सर्विलांस कहलाता है। निगरानी प्रायः गुप्त रूप से की जाती है तथा इसे सरकारों, निगमों, आपराधिक संगठनों या व्यक्तियों द्वारा कराया जा सकता है।

पक्ष में तर्क

- इंटरनेट युग के आगमन ने संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता के सदुपयोग तथा दुरुपयोग के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये हैं। इस दौरान व्यक्ति अपनी पहचान छुपा लेता है। इसीलिये इंटरनेट शासन एवं सर्विलांस की सख्त आवश्यकता है।
- सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति के निजी जीवन की जासूसी करना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का दुरूपयोग नहीं होता है।
- सरकार के अनुसार केन्द्रीय निगरानी प्रणाली (Central Monitoring System) वास्तविक सन्देशों का सूक्ष्म परीक्षण तथा उनका भेद खोलना नहीं है। यह सिर्फ कॉल्स और भेजे गये इमेल्स के नमूनों का कम्प्यूटर विश्लेषण है। यह किसी व्यक्ति के सन्देशों या वार्तालापों के विषय वस्तु की वास्तविक जासूसी नहीं है।
- इंटरनेट निगरानी खतरनाक आतंकवादी आक्रमणों को विफल करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है।
- यह कानून-व्यवस्था एजेन्सियों के लिए केस को हल करने में सहायक होती है क्योंकि फोन, ईमेल और अन्य इंटरनेट वेबसाइटों (Internet Websites) पर अनेक आवश्यक जानकारी/ सूचनायें होती है।

भारत तथा इंटरनेट निगरानी

- भारत की साइबर सुरक्षा नीति 2013 में लायी गई। यह दो उद्देश्यों को पूरा करती है- एक तरफ यह सुरक्षा देती है और इस प्रकार देश की रणनीतिक सम्पत्तियों तथा आनलाइन इंटेलीजेंस से सम्बंधित अवसंरचना को मजबूत करती है तथा दूसरी तरफ, इसके प्रयोग द्वारा नागरिकों, कम्पनियों और लोक सेवाओं के आनलाइन सुरक्षित लेन-देन की आशा की जाती है।
- भारत की केन्द्रीय निगरानी प्रणाली सरकार को देश के अन्दर सभी फोन और आनलाइन संचार की देख-रेख के लिए सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करती है।
- उदाहरण: गुजरात जासूसी घटना, PRISM, विकीलीक्स.

VISION IAS

आलोचनायें

- भारतीय संविधान निजता का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता है। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने *राजा गोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य केस* में कहा कि निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार में ही समाहित है।
- केन्द्रीय निगरानी प्रणाली को कोई वैधानिक समर्थन (legislative backup) प्राप्त नहीं है।
- इंटरनेट निगरानी स्वयं सरकार के लिए भी एक परेशानी है।
- NSA, भारतीय सरकारी अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के वार्तालाप को रिकार्ड करता है चाहे यह फोन काल्स हो, ई-मेल हो, चैट (Chat) या स्काईप वीडियो ही क्यों न हो। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के लिए इलेक्ट्रानिक जासूसी का पाँचवा सबसे बड़ा लक्ष्य है।
- इंटरनेट निगरानी का जासूसी और राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- इंटरनेट निगरानी आलोचना, प्रकटन, व्हिसलब्लोइंग तथा रचनात्मक कार्यो पर रोक द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रभावित कर सकता है।
- वैश्विक आनलाईन स्वतन्त्रता लगातार पाँचवें वर्ष गिरी है क्योंकि अधिकतर सरकारें सरकार-विरोधी लोगों के ब्लाग (blogs) या सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति पर सख्त हो गयी है तथा इलेक्ट्रानिक निगरानी को और अधिक बढ़ा दिया गया है।
- भारत के साइबर सुरक्षा नियमों की प्रस्तुति, क्रियान्यवन और देख-रेख की शक्ति कुछ एजेंसियों के पास केन्द्रित है। बिना ये निर्धारित किये कि नागरिक समाज और उद्योग इनमे कौन सी भूमिका निभायेंगे ।
- निजता शक्तिशाली लोगों की बुराइयों से हमें बचाती हैं। यह विलासिता नहीं है बल्कि यह मानव के रूप में हमारे विकास का अंग है।
- किसी की निजता का हनन/अतिक्रमण मानसिक तनाव तथा दुख का कारण बनता है जो शारीरिक चोट से प्राप्त दर्द से भी अधिक कष्टकारी होता है।

सुझाव

- यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कहीं साइबर सुरक्षा नीति द्वारा सरकार के विशाल और अनियन्त्रित जासूसी तन्त्र की ओर लोगों की निजी सूचनाओं के प्रवाह को संस्थागत रूप न दे दिया जाए।
- सरकार का उद्देश्य अब भारत के नेटवर्क से जुड़े समाज और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा की ओर निर्देशित होना चाहिए।
- सुरक्षा मानकों का लोकतन्त्र की रक्षा करने में नागरिक स्वतन्त्रता जैसे व्यक्तिगत निजता और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जोकि लोकतन्त्र निर्माण के मूलभूत तत्व है, को वास्तव में विकृति/पतन की स्थिति में ला सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतन्त्रता के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता है।

4.3. नेटग्रिड

(NATGRID)

आतंकवाद से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार ने NATGRID (नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड) को पुनःप्रचलित करने का निर्णय लिया है।

NATGRID क्या है?

- नेटग्रिड एक समेकित आसूचना तंत्र हैं जो विभिन्न आसूचनाओं के व्यापक प्रतिरूपों को एकत्रित कर भारत सरकार की मुख्य सुरक्षा एजेंसियों के डाटा बेसों को आपस में जोड़ता है, जिससे कि ये आसूचनाएं आसानी से सुरक्षा एजेसियों को प्राप्त हो सके।
- इस तंत्र की परिकल्पना 2008 के मुंबई हमलों के बाद की गई थी।

VISION IAS

NATGRID की कार्य पद्धति

- नेटग्रिड एक ऐसा खुफिया तंत्र है, जो विभिन्न सुरक्षा एजेसियों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के डाटा बेसों से प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण करता है और उसे सुरक्षा एजेसियों के साथ साझा करता है।
- यह एक आतंकवाद निरोधी तंत्र है, जो सरकार के डाटा बेस की विभिन्न सूचनाओं जैसे- कर, बैंक खातों का ब्योरा, क्रेडिट कार्ड भुगतान, वीजा एवं अप्रवासी अभिलेख तथा रेल एवं हवाई यात्राओं आदि को एकत्रित कर उनका विश्लेषण करता है।
- इस तंत्र से प्राप्त संयुक्त आकंड़ों को 11 विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों को प्रदान किया जाता है जिनमें- RAW, IB, CBI, वित्तीय आसूचना इकाई, CBDT, राजस्व आसूचना निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो , केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद आसूचना महानिदेशालय सम्मिलित हैं।

नेटग्रिड में सुधार की आवश्यकता

- अपने वर्तमान प्रारुप में नेटग्रिड बहुत सी कमियों से ग्रसित हैं, जिसमें से कुछ का संबंध लालफीताशाही से है तो कुछ का संबन्ध इस तंत्र में निहित बुनियादी खामियों से है।
- सोशल मीडिया तथा इस प्रकार के अन्य मंचों का प्रयोग, आतंकवादी संगठनों के द्वारा अपने भर्ती कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है, वहीं औपचारिक बैकिंग तंत्र का प्रयोग अनौपचारिक वित्तीय तंत्र के समान ही इन आतंकवादी संगठनों के वित्तीयन के लिए किया जा रहा है।
- भारतीय आसूचना तंत्र में आसूचनाओं के इकट्ठा करने तथा इसके आधार पर की जाने वाली कार्यवाइयों में खामियाँ मौजूद हैं।
- वह दिन दूर नहीं, जब साइबर युद्ध/अटैक का खतरा भारत की सुरक्षा संबधी चिंताओं में प्रमुख मुद्दा होगा। पिछले वर्ष सितंबर माह में पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा केरल सरकार की वेबवाइट को हैक कर लेना इसका ज्वलंत उदाहरण है।

नेटग्रिड का महत्व

- यह एक सुरक्षित केन्द्रीकृत डाटाबेस के रूप में कार्य करेगा, जो 21 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संवदेनशील सूचनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवायेगा।
- यह डाटाबेस विशिष्ट मामलों में 11 एजेन्सियों के प्राधिकृत व्यक्तियों को तथा आतंकवाद से संबधित संदिग्ध मामलों में पेशेवर जाँचों के लिए ही उपलब्ध होगा।
- यह तंत्र आतंकवादी खतरों से निपटने से लिए वास्तविक समय में चेतावनी और संभावित आसूचनाओं को उपलब्ध करायेगा।
- यह तंत्र बिखरी हुई सूचनाओं को पारदर्शी, सुलभ तथा एकीकृत तौर पर उपलब्ध कराकर उन विषमताओं को दूर करने में मददगार होगा, जिनके कारण आतंकवाद विरोधी कार्यवाइयों में देरी होती है।
- यह वित्तीय आतंकवाद से लड़ने में मदद करेगा।

आलोचना

- राज्य पुलिस तथा विभिन्न रक्षा विभागों का जिक्र उन "यूजर एजेन्सियों" में नहीं हैं, जिनकी पहुँच इलेक्ट्रानिक रूप से 21 संवेदनशील डेटाबेस तक है।
- यदि केन्द्रीय एजेन्सी, राज्य एजेन्सियों के साथ आसूचनाओं को साझा नहीं करती है तो इस तंत्र की प्रभावशीलता में कमी आएगी।
- निजता के हनन तथा गोपनीय व्यक्तिगत सूचनाओं के प्रकटीकरण की संभावनाओं को लेकर नेटग्रिड की आलोचना की जाती है।
- नेटग्रिड एक ही स्थान पर विभिन्न स्रोतों से मिली सूचनाओं को प्राप्त करता हैं। यदि इन सूचनाओं का दुरुपयोग हुआ तो नेटग्रिड का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

VISION IAS

- नेटग्रिड को विभिन्न समस्याओं जैसे-विशाल जनसंख्या से प्राप्त आंकड़ो का समेकन, क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त आंकड़ो के साथ सुसंगतता में कमी, महत्वपूर्ण सूचनाओं को बाहरी स्रोतों के साथ साझा करना एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा का भी सामना करना पड़ रहा है।

सावधानियाँ:

- चूंकि नेटग्रिड में व्यक्तियों की अत्यंत संवेदनशील सूचनाएं रहती हैं इसलिए उनके दुरुपयोग का खतरा अधिक है।
- सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता हैं कि नेटग्रिड पर उपलब्ध सूचनाओं में अनाधिकृत घुसपैठ न हो।
- संकटों के नियंत्रण और समाधान में नेटग्रिड पूर्ण क्षमता रखता है।

4.4. पुलिस नागरिक पोर्टल

(Police Citizen Portal)

- ओडिशा सरकार ने पुलिस नागरिक पोर्टल को प्रारम्भ किया है।
- राज्य के सभी 531 पुलिस थानों को इस ऑनलाईन पोर्टल से जोड़ दिया गया है।
- यह तकनीक जानकारी रखने वाले लोगों द्वारा उनके आरोपों (complaints) को ऑनलाइन दर्ज कराने में सहायक होगी।
- इस पोर्टल की सहायता से घर बैठा नागरिक माऊस की एक क्लिक से बहुत सी सेवायें प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी पुलिस थाने जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रणाली द्वारा उपलब्ध सेवा

- चरित्र प्रमाण पत्र का जारी होना।
- रैली और प्रदर्शनी की अनुमति लेना।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की नकल जारी होना।
- भूमि अनुबंध के सत्यता की जाँच, कर्मचारी के सत्यता की जाँच तथा लापता व्यक्ति के रिपोर्ट का पंजीकरण करना।
- लोग इस पोर्टल पर अपने द्वारा पंजीकृत या दर्ज किये गये आरोपों की प्रगति को जान सकते हैं।

महत्व

- तीव्र सुपुर्दगी (delivery) प्रणाली समाज को लाभ पहुँचायेगी और पुलिस की छवि को सुधारेगी।
- यह पुलिस को नागरिकों के साथ एक प्रभावशाली एवं व्यवस्थित संचार स्थापित करने में मदद करेगा।

इस प्रकार के अन्य पहल

अपराध और अपराधी ट्रैक करने का नेटवर्क और प्रणाली

(Crime and Criminal Tracking Network and System (CCTNS)

- यह नागरिक पुलिस के जाँच अधिकारियों को ऐसे यन्त्र, तकनीक और सूचनायें उपलब्ध कराता है जिससे अपराध और अपराधियों की पहचान और अधिक सरल एवं सहज हो जाती है।
- यह अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए लक्षित है जैसे कानून एवं व्यवस्था इत्यादि |
- यह पुलिस थानों, जिलों, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यालयों तथा अन्य पुलिस एजेन्सियों के बीच अपराध और अपराधी की सूचनाओं के हस्तान्तरण को आसान बनाता है।
- इसके माध्यम से न्यायालयों में चलने वाले मामलों की प्रगति की जानकारी रखना सम्भव होगा।
- यह पुलिस थानों की स्वतन्त्र कार्यप्रणाली द्वारा पुलिस की कार्य शैली को और अधिक निष्पक्ष तथा नागरिकों के लिए मित्रतापूर्ण बनाता है।
- ICT के प्रभावशाली प्रयोग द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवाओं के वितरण को सुधारेगी।

पोलनेट (POLNET) उपग्रह आधारित पुलिस दूर संचार प्रणाली:

- पोलनेट (POLNET) देश की पुलिस दूरसंचार व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उपग्रह आधारित विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क है।

VISION IAS

- पोलनेट विभिन्न प्रकार की नवीनतम VSAT(Very Small Aperture Terminals) तकनीकी जैसे TDM/TDMA, SCPC/DAMA और DVB-S का एकीकरण है।
- यह लगभग 1000 VSATs का विशाल नेटवर्क है। (VSATs को प्रत्येक राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के चुने हुए स्थानों पर स्थापति किया जायेगा)
- वर्तमान में पोलनेट 961 VSAT को सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसका हब नई दिल्ली में है जिसमें 11 मीटर एन्टीना के माध्यम से संचालित VSAT नेटवर्क की सहायता के लिए सभी आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य यन्त्र लगे हैं। इसके द्वारा लगभग 1500 स्थानों पर आवाज (Voice), आंकड़े(Data) तथा फैक्स (Fax) सुविधा उपलब्ध है।
- ऑनलाइन लेन-देन/ विनिमय प्रक्रिया के लिए पोलनेट, सम्पर्क सुविधा भी उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा NCRB कम्प्यूटरों को SCRB और DCRB कम्प्यूटरों से जोड़ा जाता है जो राज्य या जिला मुख्यालयों को दिये गए हैं।

4.5. स्कॉर्पियन पनडुब्बी डाटा लीक

(Scorpene Submarine Data Leak)

स्कॉर्पियन एक पारंपरिक तकनीक आधारित 1,500 टन वजनी पनडुब्बी है और यह 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। मझगांव डॉक्स लिमिटेड (MDL), फ्रांस के DCNS से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ 6 स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है।

डेटा लीक

- भारतीय नौसेना में जल्दी ही शामिल होने वाली फ्रेंच स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की मारक एवं स्टील्थ क्षमताओं के विषय में विस्तार से विवरण देने वाले डाटा के लीक होने का पता चला है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह का डाटा लीक **पाकिस्तान या चीन जैसे भारत के सामरिक प्रतिद्वंद्वियों को महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाएं** प्रदान कर सकता है।

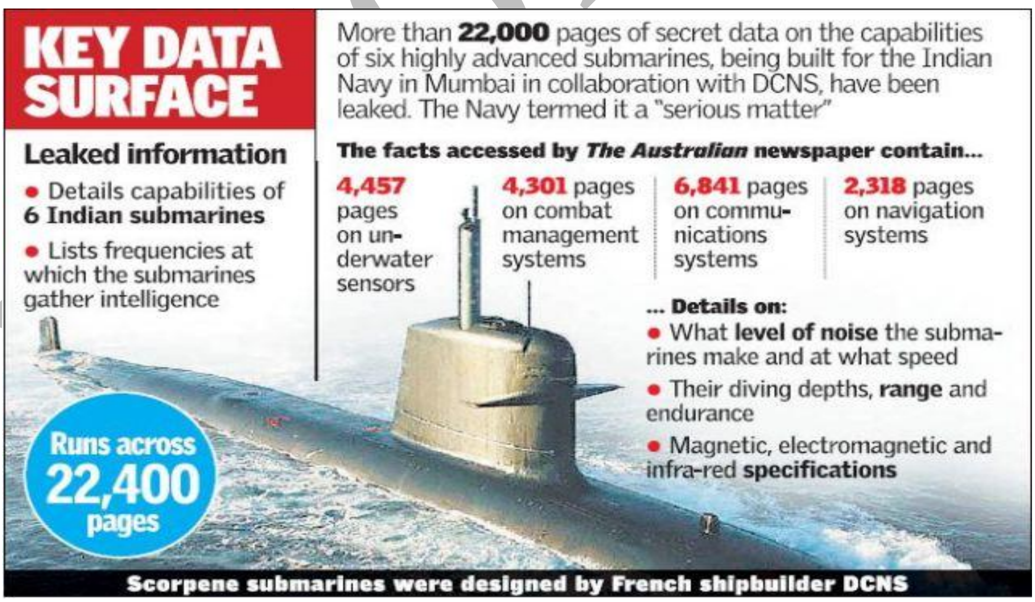

डेटा लीक का प्रभाव

- भारत ने सूचना लीक होने की वजह से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए जांच प्रक्रिया शुरू की है।
- हालांकि रक्षा अधिकारियों ने स्कॉर्पीन पनडुब्बियों से संबधित डेटा लीक के प्रभाव को कम आंका है। इसके पक्ष में यह कहा गया है कि तकनीकी विशिष्टताओं से सम्बद्ध जो सूचना जारी की गई है वह विनिर्माता द्वारा दी गयी थी जबकि परिचालनात्मक विवरण पनडुब्बी को बेड़े में शामिल किये जाने पर नौसेना द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

- रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि लीक का प्रभाव सीमित है क्योंकि हथियारों का ब्यौरा दस्तावेजों का हिस्सा नहीं था।

भारत की चिंता

- पहला, इस रिपोर्ट द्वारा लीक सूचना **भारत की समुद्री सुरक्षा** को कमजोर करेगी।
- दूसरा, यह देश की **हिंद महासागर रणनीति** के मार्ग में बाधक सिद्ध हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बी गतिविधि नाटकीय रूप से बढ़ी है।
- तीसरा, यह **साइबर सुरक्षा और रक्षा उत्पादन मानदंडों के पुनरावलोकन की अनिवार्यता को दर्शाने वाली एक चेतावनी** है।

✓ असुरक्षा संबंधी एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भारत द्वारा लगभग अपनी सभी सैन्य जरूरतों का आयात किया जाना जारी है। इसमें संलग्न कर्ताओं या पक्षों की बहुलता का अर्थ यह है कि लीक एवं हैकिंग जैसी घटनाओं की संभावना और बढ़ेगी।

✓ दूसरा यह कि भारत अपनी अधिक संवेदनशील प्रणालियों को सुरक्षित करने के विषय में अभी भी निष्क्रिय बना हुआ है। साइबर सुरक्षा अभी भी एक पोलिसी डोमेन बना हुआ है जो दर्ज़न भर से अधिक एजेंसियों के मध्य बंटा हुआ है। ये सब एक साइबर सुरक्षा कमांड की आवश्यकता की ओर इंगित करती है जो अभी भी केवल कागजों पर ही सिमटा हुआ है।

4.6. गूगल स्ट्रीट व्यू

(Google Street View)

भारत ने मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय की आपत्तियों के कारण इंटरनेट की दिग्गज कंपनी गूगल की स्ट्रीट व्यू सेवा को सुरक्षा मंजूरी (security clearance) देने से मना कर दिया है।

- मुख्य चिंता का विषय **संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों** की सुरक्षा थी।
- **पठानकोट हमले के बाद:** जांच एजेंसियों को संदेह है कि आतंकवादियों ने गूगल के मानचित्र का इस्तेमाल किया था क्योंकि उनके पास एयरबेस की स्थलाकृति की जानकारी थी।

गूगल स्ट्रीट व्यू

- स्ट्रीट व्यू इन्टरनेट की दुनिया की महाशक्ति गूगल का वर्चुअल मैपिंग टूल है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता 65 से अधिक देशों में स्ट्रीट स्तर के पैनोरैमिक चित्रों को 360 डिग्री कोणों से देख सकते हैं।
- गूगल के द्वारा आपदा प्रबंधन और पर्यटन आदि के क्षेत्र में स्ट्रीट व्यू को उपयोगी बताया गया है।

अन्य देशों में अपनाया गया मॉडल

- अमेरिका में गूगल को संवेदनशील जानकारी को हटा देने के लिए कहा गया था तथा दृश्यों को कैमरे में कैद करने वाले वाहनों को सैनिक छावनियों जैसे संवेदनशील क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा गया।
- जर्मनी में परिवारों को अपने भवनों को धुंधला (ब्लर) करने का विकल्प दिया गया था।
- जापान में जिस ऊंचाई से दृश्य लिए गए उसके आस पास के क्षेत्र को अत्यंत छोटा करके दिखाया गया तथा स्थानीय सरकारों द्वारा गूगल की फोटोग्राफी करने से पहले अधिसूचित किया जाना अनिवार्य किया गया।
- इजराइल की सरकार द्वारा रियल टाइम दृश्यों की स्वीकृति नहीं दी गयी और केवल सभी के लिए खुले सार्वजनिक स्थलों की फोटोग्राफी की अनुमति दी गयी।

आगे की राह

- सरकार ने संकेत दिया है कि उसकी अस्वीकृति अंतिम नहीं है और मानचित्र सृजन और साझा करने को विनियमित करने वाले प्रावधानों को समाहित करने वाले भू-स्थैतिक विधेयक के पास हो जाने के पश्चात मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा लंबे समय के लिए इस प्रौद्योगिकी से दूर रहना भारत के हित में उचित नहीं है।

5. तटीय क्षेत्रों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा

(Security in Border Areas including Coastal)

5.1. जम्मू और कश्मीर

(Jammu and Kashmir)

5.1.1. कश्मीर में अशांति (Kashmir Unrest)

पृष्ठभूमि

- जुलाई के शुरू में भारतीय सुरक्षा बलों ने एक युवा कश्मीरी बुरहान वानी को मुठभेड़ में मार डाला था। वह सैन्य संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था।
- बुरहान वानी को स्थानीय हुर्रियत नेताओं, पाकिस्तानी मीडिया और कश्मीरी मीडिया एवं जनसंख्या के कुछ वर्गों द्वारा एक हीरो और राज्य के अत्याचारों के शिकार के रूप में पेश किया गया था।
- परिणामस्वरूप, उसकी मौत का बड़ी संख्या में कश्मीरियों के द्वारा विरोध किया गया जिन्होंने सुरक्षा बलों और सार्वजनिक संपत्तियों पर हमला कर कर्फ्यू की अवहेलना की।
- सेना और पुलिस द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल भी आलोचना का कारण बना था, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए तथा कई लोगों की आँख की रोशनी चली गयी।
- घाटी में 60 दिनों के बाद अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। यह संकट 1990 के दशक के बाद से सबसे बदतर माना जा रहा है।

अशांति का कारण

कश्मीर में मौजूद अशांति कोई नई घटना नहीं है। घाटी कई वर्षों से इस तरह की हिंसा का शिकार रही है। यह भारत में राज्य के विलय के साथ 1947 में शुरू हुआ था लेकिन 1980 के दशक के दौरान आतंकवादी विद्रोह में वृद्धि के साथ स्थिति बदतर हो गयी। इसके कई कारण हैं:

- **आर्थिक कारण:** बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, नौकरी के नए अवसर की कमी, पारंपरिक हस्तशिल्प के विघटन, कमजोर औद्योगिक सेटअप, आतंकवादी हमलों के कारण पर्यटन में गिरावट, बाढ़, बादल फटने की वजह से फसलों के नुकसान, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के मुद्दे आदि के कारण वर्तमान तंत्र के प्रति लोग निराश हुए हैं।
- **राज्य के खिलाफ आक्रोश:** AFSPA जैसे कानून, नियमित रूप से कर्फ्यू, सशस्त्र बलों की उपस्थिति, मानव अधिकार उल्लंघन आदि के आरोपों ने शासन के खिलाफ लोगों के गुस्से को बढ़ाने में योगदान दिया है।
- **राजनीतिक अस्थिरता और शून्यता:** राज्य में राजनीतिक व्यवस्था में उतार-चढ़ाव रहा है। वहाँ चुनाव में धाँधली के आरोप, चुनाव के बहिष्कार की घटनाएं, और लम्बी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के बाद और चुनाव में रिकार्ड मतदान हुआ। इस नियमित राजनीतिक अस्थिरता से लोगों और सरकार के बीच की खाई बढ़ गई है। इस प्रकार लोग हुर्रियत जैसे अलगाववादी समूहों की ओर भी अग्रसर हुए हैं।
- **भौगोलिक:** पाकिस्तान के रूप में एक ईर्ष्यालु पड़ोसी की उपस्थिति जो कश्मीरी लोगों खासकर युवाओं की भावनाओं को उकसाती है, अशांति फ़ैलाने के लिए सीमा पार से घुसपैठ संचालन करता है और स्थिति को और खराब करने के लिए आतंकवाद का उपयोग एक राजनयिक उपकरण के रूप में करता है।

VISION IAS

- **सामाजिक समस्याएँ:** ख़राब शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली, सूफी इस्लाम बाहुल्य क्षेत्र में कट्टरपंथी इस्लाम के प्रवेश के आरोप, 1980 के दशक के उग्रवाद के घाव और कट्टरपंथी नेताओं द्वारा युवाओं की भावना भड़काने ने उनकी निराशा और अधिक बढ़ाने में योगदान दिया है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** जनमत संग्रह की मांग 1947 के बाद लगातार की गयी है, लोगों को लगता है कि विलय के अनुसार यह उनका कानूनी अधिकार है। हालांकि, जनमत संग्रह पाकिस्तान की गतिविधियों और 1950 के बाद बदली हुई परिस्थितियों के कारण घाटी में नहीं किया जा सकता है। इससे कश्मीरी लोगों में पीढ़ियों से क्रोध व्याप्त है।

समस्या अभी भी क्यों बनी हुई है?

राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कश्मीरी लोगों के साथ वार्ता, घाटी में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे और मामले की राष्ट्रव्यापी चर्चा के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसके अनेक कारण हैं:

- सरकार और सभी हितधारकों के बीच संवाद की कमी है। भारत सरकार ने हुर्रियत से बात करने के लिए मना कर दिया है जिसकी उपस्थिति अवरोधों को जारी रखने के लिए पर्याप्त है।
- **गैर-ज़िम्मेदार मीडिया:** सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया द्वारा शह दिए जाने आदि के कारण स्थिति और खराब हो गयी है।
- सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल: हालांकि यह जरूरी था लेकिन इससे शासन के खिलाफ लोगों के गुस्से में वृद्धि हुई।
- पाकिस्तान से शह मिलना।

आगे की राह

- भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए त्वरित आवश्यकता कश्मीर के लोगों तक पहुँच बनाना है। सभी प्रमुख हितधारकों को संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे से ऊपर उठकर और कश्मीर के भविष्य के लिए सही दिशा में कार्य करना चाहिए।
- आपसी विश्वास और संबंधो को विकसित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाना स्वागत योग्य शुरुआत है। जहाँ कहीं भी संभव हो भारत सरकार को AFSPA को भी मानवीय बनाने पर विचार करना चाहिए विशेषत: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में।
- सबसे महत्वपूर्ण कदम लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में होना चाहिए। अनुदान और विकास निधि में वृद्धि होनी चाहिए। हस्तशिल्प, पर्यटन और कश्मीरी युवकों के रोजगार के लिए विशेष योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 'नई मंज़िल', 'USTTAD' आदि जैसी योजनाओं की पहल प्रोत्साहित करने योग्य हैं।
- कश्मीरी लोगों के हित और उनकी 'कश्मीरियत' सरकार के प्रयासों के लिए मुख्य होना चाहिए। प्रौद्योगिकी चालित परिवर्तन करने की कोशिश की जानी चाहिए।
- अनुच्छेद 370 को वापस लेना, अचानक या बिना सोचे समझे नहीं होना चाहिए। यह उत्तरोत्तर किया जाना चाहिए, जब तक कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को विश्वास में न लिया जाये। सभी प्रावधानों को पलटा और वापस नहीं लिया जा सकता है लेकिन कुछ प्रावधानों को कश्मीर को भी स्वीकार्य करना चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद हो।

5.1.2. जम्मू और कश्मीर में प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

(Relief and Rehabilitations of Migrants in Jammu and Kashmir)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के प्रवासियों को राहत और पुनर्वास देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

VISION IAS

- जम्मू और कश्मीर में विशेष तौर से इसके शुरुआती समय में, आतंकी हिंसा/आतंकवाद ने कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों के साथ-साथ कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों को जबरन प्रवास करना पड़ा था।

1. कश्मीर प्रभाग में

- यह प्रस्ताव कश्मीरी प्रवासियों के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता के साथ राज्य की सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त 3000 अतिरिक्त रोजगार प्रदान करेगा और
- राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नौकरियां प्राप्त कश्मीरी प्रवासियों के लिए कश्मीर घाटी में ट्रांजिट आवास का निर्माण किया जाएगा।

2. जम्मू प्रभाग में

- जम्मू प्रभाग के पहाड़ी इलाकों के प्रवासियों को कश्मीरी प्रवासियों को दी जाने वाली राहत की तर्ज़ पर राहत का प्रावधान जिसकी कुल अनुमानित लागत रु 13.45 करोड़ रूपये प्रति वर्ष है।

नया क्या है?

- जम्मू प्रभाग के पहाड़ी इलाकों के प्रवासियों को नकद या अनाज के रूप में दी जाने वाली राहत राज्य सरकार द्वारा दी जाती थी जो कश्मीरी प्रवासियों के समान नहीं थी।
- अब इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाले खर्च को भारत सरकार राज्य सरकार को वापस करेगी।

5.1.3. सियाचिन का विसैन्यीकरण

(Demilitarisation of Siachen)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन के कारण मद्रास रेजीमेंट के 9 जवानों की मृत्यु हो गई।
- हालांकि हनुमनथप्पा नाम के एक जवान को जीवित निकाला गया था परंतु बाद में घावों के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई।
- वैश्विक तापन से प्रभावित इस क्षेत्र में इस प्रकार की बढ़ती हुई घटनाओं में से यह मात्र एक घटना है।

सियाचिन के साथ कठिनाई

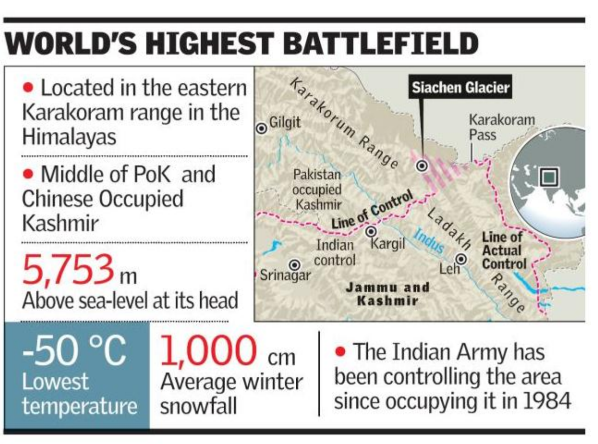

- 1984 से 2012 के मध्य सेना के 846 जवान सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो चुके हैं।
- हिमस्खलन एवं क्षेत्र का दुर्गम एवं दुश्कर होना इस प्रकार की घटनाओं के कारण रहे हैं।
- शून्य से भी नीचे तापमान वाली जलवायु की दशाएँ कई प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रही हैं, जैसे- स्मरण शक्ति का कमजोर होना, बोलने में अस्पष्टता, फेफड़ों का संक्रमण, शीतदंश आदि।
- सामान्य ऊँचाई के मुकाबले यहां पर ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी जीवन को कठिन बना देती है।

विसैन्यीकरण के पक्ष में तर्क

- सियाचिन पर कब्जा बनाये रखने में व्यापक जान-माल की हानि हुई है तथा काफी धन व्यय किया जा चुका है।

VISION IAS

- सामरिक समुदाय के कई लोगों का मानना है कि सामरिक दृष्टिकोण से सियाचिन ज्यादा महत्व नहीं रखता तथा आक्रमक कार्रवाई के लिए अनुपयुक्त है।
- चीनी हस्तक्षेप का डर
- अगर चीन लेह पर अधिकार करना चाहता है तो उसके पास सियाचिन के दुर्गम रास्ते की तुलना में अन्य आसान मार्ग उपलब्ध हैं।
- सियाचिन मार्ग का अनुसरण करना चीन के लिए लॉजिस्टिक तथा सैन्य दोनों ही दृष्टियों से अनुपयुक्त होगा।
- पाकिस्तानी हस्तक्षेप का डर
- एक बार जब क्षेत्र सीमांकित, सत्यापित तथा परस्पर विसैन्यीकृत हो जाएगा तो पाकिस्तान के लिए इस पर नियंत्रण करना लॉजिस्टिक तथा कानूनी रूप से आसान नहीं होगा।
- भारत को समझौते के अंतर्गत इस बिंदु को सम्मिलित कराना चाहिए कि इस समझौते में किसी भी प्रकार का उल्लंघन युद्ध को उकसाने वाले कृत्य या घटना के रूप में देखा जायेगा।
- भारत के पास कई परिष्कृत निगरानी, सूचना संवेदी प्रणाली के साथ-साथ उपग्रह आधारित इमेज प्रणाली उपलब्ध है, जिससे पाकिस्तान के किसी भी आकस्मिक हमले को रोका जा सकता है।

विसैन्यीकरण के विपक्ष में तर्क

- सरकार एवं सेना दोनों इस बात पर दृढता से एकमत है कि सियाचिन पर नियंत्रण के अलावा कोई और मार्ग नहीं हैं।
- भारत का सियाचिन पर वर्चस्व है तथा भारत इस क्षेत्र में पाकिस्तान की तुलना में सामरिक दृष्टि से लाभ की स्थिति में है।
- हमने सियाचिन क्षेत्र में सैनिक तथा असैनिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत निवेश कर दिया है, तथा जान-माल की हानि भी पाकिस्तान की अपेक्षा कम हुई है।
- आस-पास के क्षेत्र में चीन का खतरा मंडरा रहा है।
- यदि भविष्य में पुनः आवश्यकता महसूस हुई तो इस क्षेत्र को वापस प्राप्त करने में कठिनाई होगी|
- चीन-पाकिस्तान गठजोड़ चिंता का मुख्य विषय है|
- भारत द्वारा खाली किये गए सियाचिन क्षेत्र का उपयोग भविष्य में चीन तथा पाकिस्तान द्वारा संयुक्त कार्रवाई के लिए किया जा सकता है|

भारतीय दृष्टिकोण

- वर्तमान में भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी प्रकार के विसैन्यीकरण के लिए पूर्व शर्त सल्तारो रिज की जमीनी स्थिति का सीमांकन तथा उसे नक्शे पर सत्यापित करना है।
- इसके अलावा, भारतीय पक्ष की ओर से ठिकानों तथा क्षेत्र को खाली करने के संबंध में भारत कोई मतभेद नहीं चाहता। यह भावना कारगिल में पाकिस्तानी हस्तक्षेप के कारण और भी प्रबल हो गई है।
- इसी कारण भारत जोर देकर कह रहा है कि भूमि तथा मानचित्र दोनों पर वास्तविक भू-स्थिति रेखा का सीमांकन, संयुक्त सत्यापन समझौते का पहला कदम होना चाहिए।

पाकिस्तानी दृष्टिकोण

- भारत ने सियाचिन में जबरदस्ती अधिकार कर रखा है और इसे बिना शर्त हटना चाहिए तथा 1984 की पूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहिए। भारत शिमला समझौते का उल्लंघन कर रहा है।
- पाकिस्तान ने सुझाव दिया है कि दोनों पक्षों को सुरक्षा बलों को 1972 के शिमला समझौते की पूर्व स्थिति अर्थात NJ 9842 बिंदु के दक्षिण तक हटा लेना चाहिए। हालांकि उसने भू-स्थिति के निर्धारण में कोई वास्तविक रूचि नहीं दिखाई है।
- पाकिस्तान का मानना है कि क्षेत्र का विसैन्यीकरण, सुरक्षा बलों को हटाना तथा सत्यापन साथ-साथ होने चाहिए।

VISION IAS

भारत के पास 5 विकल्प हैं

- यथापूर्व स्थिति को बनाए रखना।
- बिना किसी सीमांकन तथा सत्यापन के परस्पर समझ के आधार पर सेना को हटाना, पर यह भारत के लिए एक अवांछित कदम है तथा इसके होने की सम्भावना भी नहीं है।
- सीमांकन तथा सत्यापन के बाद सेना को पारस्परिक समझ के आधार पर हटाना। यह भारत के लिए वांछित विकल्प है, परंतु पाकिस्तान इस पर सहमत नहीं होगा।
- बिना किसी पूर्वाग्रह के वर्तमान सैनिक स्थिति को संयुक्त रूप के रिकार्ड करके सेनाओं को पारस्परिक समझ के आधार पर हटाना। यह सबसे उपयुक्त विकल्प हैं, जिससे भारतीय पक्ष की मांग भी बनी रहेगी तथा पाकिस्तान की तरफ से भी इसका अधिक विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि 1992 में पाकिस्तान ने इसके लिए सहमति जताई थी।
- एक और आदर्श विकल्प सियाचिन को शांति पार्क के रूप में बदलना है।

5.2. अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यु (IFR) 2016

(International Fleet Review (IFR) 2016)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यु का आयोजन किया।

- विश्व की 51 नौसैनाओं ने अपने जहाजी बेड़े अथवा अपने प्रतिनिधि इस अभियान में भेजे।
- अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यु-2016 की थीम थी - महासागरों के जरिये एकजुटता (**United through ocean**)।
- इस समीक्षा का समापन बंगाल की खाड़ी में भारतीय तथा विदेशी जहाजों द्वारा एक पैसेज एक्सरसाइज (PASSEX) के साथ हुआ।

फ्लीट रिव्यु क्या है?

फ्लीट रिव्यु विश्व की विभिन्न नौसेनाओं द्वारा पंरपरागत रूप से अनुसरण की जाने वाली एक प्रथा है।

- इस रिव्यु का उद्देश्य भारतीय नौसेना की तैयारी, उच्च मनोबल एवं अनुशासन के बारे में देश का विश्वास मज़बूत करना होता है।
- इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यु मेज़बान देश को अपनी सामुद्रिक क्षमताओं तथा अन्य सामुद्रिक राष्ट्रों के साथ बनाये गये अपने 'मित्रता के सेतुओं' को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करती है।
- यह रिव्यु हिन्द महासागर को खुला, सुरक्षित तथा समृद्ध बनाने में भारतीय क्षमता का योगदान स्मरण कराती है।

ब्लू वाटर नेवी बनाम ब्लू इकोनामी

- भौगोलिक रूप से हिन्द महासागर के मुख्य नौपरिवहन मार्गों पर भारत की अवस्थिति इसे निर्णायक समुद्री भूमिका प्रदान करती है।
- भारतीय नौसेना हिन्द महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा में केन्द्रीय भूमिका निभा रही है।
- भारत की आर्थिक तथा सामरिक क्षमता की गणना में समुद्री क्षमता का कोण भी शामिल हो गया है।
- भारत के वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत हिस्सा अंतराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, जिसमें से ज्यादातर व्यापार समुद्र के रास्ते होता है।
- भारत छोटे राष्ट्रों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रबंधन तथा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में सहयोग के महत्व को भी स्वीकार करता है।
- एक सशक्त ब्लू वाटर नेवी; कूटनीति तथा ब्लू इकोनामी की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

VISION IAS

आगे की राह

- भारत को महाद्वीपों तथा सागरों के मध्य बदलते हुए संतुलन तथा खतरों के चरित्र को नए सिरे से देखने वाली एक नई सैनिक रणनीति अपनाने की जरूरत है।
- समुद्री रणनीति की दिशा बदलकर विभिन्न सहयोगात्मक पहलों के माध्यम से भारत ने समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देकर विश्वसनीयता अर्जित की है।
- पाकिस्तान तथा चीन की ओर से जमीनी खतरों के निवारक के रूप में नौसेना की जवाबी कार्रवाई की क्षमता तथा सामर्थ्य पर सशक्त चर्चा की जरूरत है।
- हिन्द महासागर में बदलते हुए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक तथा नौसेना-नेतृत्व को निर्णायक भागीदारों के साथ विशेष समुद्री संबंधों की आवश्यकता को तुरंत पहचानना तथा महत्व देना होगा।
- समुद्री सुरक्षा सहयोग में भारत को एकल-रेंजर (एकला चलो) की पूर्व मानसिकता से आगे बढ़कर बहुपक्षीय तंत्र के विकास की ओर कदम बढ़ाना होगा।
- सागर न केवल सुरक्षा, सहयोग तथा मित्रता को बढ़ावा देते है बल्कि सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। और इसी रूप में फ्लीट रिव्यु 'महासागरों के जरिये एकजुटता' की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं।

5.3. वृहद् समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली

[Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS)]

तकनीक के माध्यम से पाकिस्तान से सटी हमारी पश्चिमी सीमा की 24x7x365 सतत निगरानी हेतु एक वृहद् समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) को सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

CIBMS के उद्देश्य

घुसपैठ, तस्करी और पठानकोट सरीखे आतंकी हमलों को रोकना।

CIBMS-विस्तृत जानकारियाँ

- पाकिस्तान से लगी 2900 किलोमीटर लम्बी सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए यह पंचस्तरीय विस्तृत कार्यक्रम है। इन पाँच स्तरों में शामिल हैं -
  - ✓ CCTV कैमरे
  - ✓ थर्मल इमेज और नाइट विज़न उपकरण
  - ✓ युद्धक्षेत्र निगरानी राडार
  - ✓ भूमिगत निगरानी सेंसर
  - ✓ लेजर अवरोधक (laser barriers)
- एकीकृत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि किसी अवैध घुसपैठ की स्थिति में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरा उपकरण इसकी सूचना त्वरित रूप से कंट्रोल रूम तक पहुँचा देगा।
- लेजर अवरोधक जम्मू कश्मीर से गुजरात तक फैले उन 130 जलीय और पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा करेगा जहाँ अभी तक बाड़ लगाने का कार्य नहीं हो सका है।
- आगामी दो वर्षों में पूरी सीमा को इस उच्च तकनीकी प्रणाली के तहत कवर किया जायेगा।

5.4.तटीय सुरक्षा

(Coastal Security)

गृह मंत्रालय ने अधिसूचित तटीय पुलिस स्टेशनों की क्षेत्राधिकार सीमा को मौजूदा 12 नॉटिकल मील की दूरी से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक बढ़ा दिया है।

- 26/11 के आतंकी हमलों के बाद, तट से 12 नॉटिकल मील (लगभग 22 किमी) तक सुरक्षा का दायित्व तटरक्षक बल को दिया गया था तथा पांच नॉटिकल मील की दूरी तक के क्षेत्राधिकार के साथ नए तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना को प्रस्तावित किया गया था।

VISION IAS

- स्थल कार्यक्षेत्र वाली पुलिस के लिए 200 समुद्री मील की नई सीमा अब तटीय गश्त को और अधिक प्रभावी बनाएगी।
- नया परिवर्तन भारत के 7516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर होने वाली तस्करी और आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने में स्थानीय पुलिस को अधिक सशक्त भूमिका निभाने में सहायता करेगा।

5.5. विशाखापत्तनम में जलगत निगरानी प्रणाली

(Underwater vigil system in Visakhapatnam)

- भारतीय नौसेना ने एक एकीकृत जलगत बंदरगाह रक्षा और निगरानी प्रणाली (Integrated Underwater Harbour Defence and Surveillance System, IUHDSS) और माइन वारफेयर डाटा सेंटर(Mine Warfare Data Centre) युक्त अत्याधुनिक बंदरगाह रक्षा प्रणाली की शुरूआत की है, जोकि विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड की निगरानी क्षमता और सुरक्षा खतरों के विरुद्ध प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि करेगी।
- IUHDSS, विशाखापत्तनम बंदरगाह की सतह और पानी के नीचे के सभी प्रकार के खतरों का पता लगाने, पहचान करने, खोजने और चेतावनी देने में सक्षम एक मल्टी-सेंसर प्रणाली है।
- MWDC विभिन्न बंदरगाहों से नौसेना के माइन हंटिंग शिप द्वारा एकत्र आंकड़ों की तुलना, वर्गीकरण और विश्लेषण करेगा।
- सागर प्रहरी बल का सृजन, फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (FICs) और IUHDSS की कमीशनिंग 26/11 के परिदृश्य के बाद तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नौसेना द्वारा किये गए कुछ उपाय हैं।

5.6. स्पाई कैम परियोजना

(Spy Cam Project)

परियोजना का तात्कालिक कारण –

- 2013 में लद्दाख क्षेत्र की देपसांग घाटी में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) का 21 दिनों तक सामना करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश के तवांग के 50 स्थानों पर कैमरे लगाए जाएँ।
- **रेंज** - 20 - 25 कि.मी.
- **असफलता के कारण** - इन स्थानों का वातावरण अनुकूल नहीं है क्योंकि उच्च पवन वेग तथा बर्फबारी के कारण प्रतिबिम्ब (Image) अस्पष्ट प्राप्त होते हैं।

COUNTERING A THREAT

India plans to lay an intricate surveillance network along the areas bordering China

EYEING LIVE FEED The initial proposal is to install 50 high-resolution surveillance cameras, well within Indian territory, to capture live feed within a range of 20 km

OBJECTIVE The proposed surveillance system is also aimed at capturing night imagery and border incursions

TEST RUN The pilot project at Thakung, a border post most prone to Chinese transgressions, has failed to give results

"Somehow, the Chinese know the exact movement of our troops. Whenever our men go for patrolling along the border, the Chinese come to know about it — A GOVT. OFFICIAL

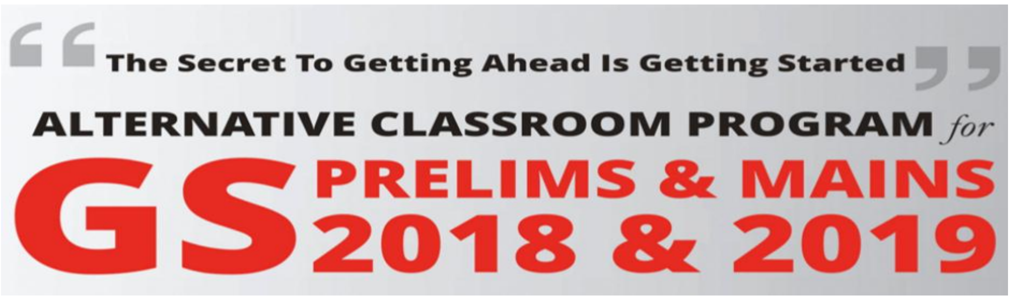

VISION IAS

6. मनी लॉन्डरिंग, संगठित अपराध और आंतकवाद

(Money-Laundering, Organized Crime And Terrorism)

6.1. आतंकवाद का वित्तपोषण

(Terror Financing)

पृष्ठभूमि :

- भारत विश्व की बड़ी एवं मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ आतंक के वित्तपोषण के विषय पर आयोजित प्रथम वैश्विक सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। यह सम्मेलन पेरिस में सम्पन्न हुआ।
- यह सम्मेलन आई.एस.आई.एस. आतंकी समूह के गुप्त, ज्यादातर पकड़ में ना आने वाले एवं गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खात्मे के लिए एक क्रियाविधि विकसित करने से सम्बंधित था।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य मनी लॉन्डरिंग (काले धन को वैध बनाना) एवं आतंकी वित्तपोषण की समस्या को हल करना था।
- यह सम्मेलन फाइनेंशियल-एक्शन टास्क फोर्स (FATF) सचिवालय के तत्वाधान में आयोजित हुआ था।
- आतंकवाद के वित्तपोषण को आतंकवाद के "जीवन रक्त" की संज्ञा दी गई है। यह आतंकवाद की निरन्तरता को बनाये रखने वाले अनेक महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक है।

उद्देश्य:

- इस बात पर चर्चा करना कि विभिन्न देशों द्वारा उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्यवाही की जा रही है तथा आई.एस.आई.एस. के वित्तपोषण का मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल देना।
- आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने वाले वैश्विक प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के अवसरों को विस्तार देना ।

FATF : पृष्ठभूमि

- यह एक अंतर-सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना मनी लॉन्डरिंग तथा आतंकी गतिविधियों से सीधे तौर से सम्बंधित अन्य वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए वैश्विक प्रोटोकॉल एवं मानकों को निर्धारित करने के उद्देश्य से हुई थी।
- भारत अन्य तैंतीस देशों सहित इस प्रसिद्ध वैश्विक निकाय का पूर्ण सदस्य है।
- इसी वर्ष के आरंभ में FATF द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में यह चिह्नित किया गया कि किस प्रकार ISIS द्वारा आतंकियों को संगठित करने तथा उनके घातक हथियारों एवं गोला बारुद को स्थानान्तरित करने में जटिल वित्तीय तरीकों का प्रयोग किया जाता है।
- रिपोर्ट की प्राथमिक जाँचों में पाया गया कि यह आतंकी समूह कब्जे वाले स्थलक्षेत्र से अनैतिक गतिविधियों के प्रयोग द्वारा वित्त संग्रहण कर रहा है, जैसे-बैंक लूट, जबरन वसूली, तेल कुओं तथा क्षेत्रों पर नियन्त्रण, फिरौती के लिए अपहरण, गैर लाभकारी संगठनों के माध्यम से दान तथा आधुनिक संचार नेटवर्कों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था आदि।

6.2. आतंकी वित्तपोषण तथा मनी लॉन्डरिंग की समस्या से निपटने की भारत की रणनीति

(India's Strategy to Deal with Terror Financing and Money Laundering)

क्यों महत्वपूर्ण है :-

विभिन्न जाँच एजेंसियों के सामने कुछ ऐसे तथ्य आये हैं जिनसे स्पष्ट है कि भले ही ISIS के लिए वित्तीय मदद भारत में सृजित न हो रही हो, पर भारत के रास्ते से ISIS को वित्तीय मदद पहुँचायी जा रही है -

VISION IAS

- पूरे विश्व में आतंकी समूहों (ISIS सहित) की बढ़ती हुई गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने हाल ही में FATF को यह सूचित किया है कि इसने आतंकी वित्तीयन तथा गैर क़ानूनी पूँजी की मनी लॉन्डरिंग के आरोप में तीन दर्जन से अधिक संस्थानों से तीन लाख यूरो (2.12 करोड़ रूपये से अधिक) की परिसंपत्तियों को जब्त किया है।
- आतंकवाद के वित्तपोषण तथा मनी लॉन्डरिंग से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए गैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 तथा प्रिवेंशन आफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA)-2002 प्रभावी साधन (कानून) हैं।
- गैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम-1967 को 2013 में संशोधित कर और मजबूत किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न बातों को सम्मिलित किया गया-

✓ आतंकवाद के प्रयोग के लिए अभिप्रेरित किसी भी सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए आतंकवाद की गतिविधियों के विषय क्षेत्र को विस्तारित किया गया।

✓ भाग-17 के विषय क्षेत्र को विस्तारित किया गया- इसमें आतंकी क्रियाकलापों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया। साथ ही कानूनी या गैर कानूनी ढंग से आतंकी संगठनों, आतंकी समूहों या एक आतंकवादी द्वारा वित्त की व्यवस्था करने के कार्य को भी दण्डित करने का प्रावधान हैं। इसकी परिधि में कम्पनियों एवं ट्रस्टो या सोसाइटीज के अपराधों को भी शामिल किया गया है।

- **2013** में प्रिवेंशनऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट-2002 को भी कुछ अन्य प्रावधान जोड़कर और अधिक मजबूत किया गया। इसमें निम्न प्रावधान शामिल हैं-

1. अनुसूचित अपराधों के लिए मौद्रिक सीमा को हटाना।
2. मनी लॉन्डरिंग की जाँच के संदर्भ में जब्ती और अस्थायी कुर्की शक्तियों को मजबूती प्रदान करना।
3. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के कार्य क्षेत्र/विषय क्षेत्र के अंतर्गत नयी वित्तीय संस्थाओं और नामनिर्दिष्ट गैर-वित्तीय व्यवसाय तथा वृत्तियों को शामिल करना।
4. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने के लिए वित्तीय आसूचना इकाई (FIU) की शक्तियों को बढ़ाना तथा रिपोर्टिंग संस्थानों के नामित निदेशकों तथा कर्मचारियों को शामिल करते हुए PMLA के तहत प्रतिबंधों के विस्तृत दायरे का समावेश करना।
5. आतंकी वित्तीयन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने हेतु **गृह** मन्त्रालय के अधीन 2011 **में** एक विशेष "कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म" (CFT) सेल का गठन किया गया ताकि केन्द्रीय आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों एवं राज्यों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित हो सके।
6. आतंकी वित्तीयन की जांच हेतु राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अंतर्गत **आतंकी वित्तीयन तथा जाली नोट प्रकोष्ठ (टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल)** का गठन किया गया है।

वित्तीय आसूचना इकाई- भारत [FIU-IND]

- FIU-IND एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। यह संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन से सम्बंधित सूचनाओं की प्राप्ति, प्रसंस्करण, विश्लेषण तथा विस्तारण करने के लिए उत्तरदायी है।
- मनी लॉन्डरिंग तथा इससे संबंधित अपराधों के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का अनुसरण करते हुए FIU-IND राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आसूचना, जाँच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय तथा उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- यह एक स्वतन्त्र निकाय है। यह वित्त मन्त्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद (Economic Intelligence Council–EIC) को सीधे रिपोर्ट करती है।

VISION IAS

6.3. ISIS और अल-कायदा को वित्तीय मदद रोकने हेतु UNSC का प्रस्ताव

(UNSC Resolution to Cut Off Funding to ISIS, Al-Quaeda)

यू.एन. सुरक्षा परिषद ने हाल ही में अलकायदा और ISIS की सभी स्त्रोतों से होने वाली वित्तीय मदद पहुंचाने वाले रास्तों को समाप्त करने का संकल्प पारित किया।

- 15 सदस्यीय इस निकाय के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन (पहली बार आयोजित) में स्वीकृत प्रस्ताव में वित्तीय प्रणाली के बचाव मार्गों (लूपहोल्स) को बंद करना, दान कार्यों के दुरुपयोग को रोकना तथा साथ ही साथ ISIS और अलकायदा पर प्रतिबंधों की सूची को अद्यतन करना सम्मिलित है।
- सुरक्षा परिषद ने जोर दिया कि पहले से विद्यमान प्रस्तावों में प्रावधान है कि, राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके राज्य क्षेत्रों से लोगों द्वारा आतंकियों को वित्तीय सम्पत्तियां हस्तान्तरित न की जाए। ऐसे प्रस्ताव ISIS और अल कायदा की प्रतिबंध सूची से सम्बंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों, इकाइयों द्वारा ली गयी फिरौती पर भी लागू होंगे, वो भी बिना इस पर विचार किये कि फिरौती कौन दे रहा है या कैसे दे रहा है।
- इस प्रस्ताव के अंतर्गत सूचना साझा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा संदेहास्पद लेन-देन की पहचान करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ गहन समन्वय की बात कही गई है।
- सुरक्षा परिषद ने सदस्य राष्ट्रों को और अधिक सर्तकता बरतने को कहा है। इसके अंतर्गत सदस्य देशों के सम्बंधित अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ और कच्चे माल जैसे रासायनिक संघटक, डेटोनेटर्स, ज़हर, डेटोनेटर कॉर्ड इत्यादि, जिनका प्रयोग विस्फोटक उपकरणों या गैर पारम्परिक हथियारों के निर्माण में किया जा सकता है, के विपथन (अर्थात उनका प्रयोग किसी भिन्न कार्य में ना होने पाए) की जाँच के लिए सतर्कता को बढ़ावा देने को कहा गया। अर्थात इन पदार्थो को जिन कार्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गयी उन्हें उसी में प्रयोग किया जाय, यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए।

ISIS की वित्तीय मदद को रोकना क्यों चुनौतीपूर्ण हैं?

- अन्य आतंकी समूहों के विपरीत यह समूह अपनी वित्तीय मदद का छोटा सा भाग ही वैश्विक दानकर्ताओं से प्राप्त करता है। इसके बजाये यह अपने नियन्त्रित भू क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों तथा प्राकृतिक संसाधनों से धन की व्यवस्था करता है।
- ISIS ने भू क्षेत्रों पर कब्जा करके तथा बैंको को लूटकर सतत राजस्व स्त्रोतों का विकास किया है। इसके अलावा इसने तेल की कालाबाजारी से लगभग 500 मिलियन यू.एस. डॉलर की राशि एकत्रित की है। पुनः यह लोगों से जबरन वसूली के द्वारा भी लाखों डॉलर प्राप्त कर चुका है।

6.4. सीमा-पार मानव तस्करी : एक संगठित अपराध

(Organized Crime: Trans-National Human Trafficking)

दुनिया में ड्रग्स और हथियारों के अवैध व्यापार के बाद मानव तस्करी तीसरा सर्वाधिक लाभप्रद अवैध व्यापार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के रूप में घोषित किया है।

> संगठित अपराध: अपराधियों द्वारा धन इत्यादि संबंधी लाभों के लिए गठित पारराष्ट्रीय,राष्ट्रीय या स्थानीय समूह अथवा गैरकानूनी केंद्रीकृत संगठन, संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ आपराधिक संगठन यथा आतंकवादी समूह, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित भी होते हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा पार मानव तस्करी

पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2200 किमी लम्बी भूमि सीमा और 259 किमी. लम्बी जल सीमा साझा करता है जिसका ज्यादातर हिस्सा बाड़ रहित होने के कारण यह क्षेत्र सीमा-पार मानव तस्करी, ड्रग्स और जाली नोटों (FICN) की अवैध तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित है।

VISIONIAS

- पश्चिम बंगाल मानव तस्करी के पारगमन बिंदु (ट्रांजिट पॉइंट) के रूप में भी कार्य करता है।
- साथ ही पश्चिम बंगाल भारत में आंतरिक और सीमा-पार तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भी है।

तस्करी :

- 'संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध रोधी कन्वेंशन' को सुदृढ़ करने के लिए 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव तस्करी के निरोध, निषेध एवं उसमे संलिप्त पाए जाने पर दण्ड से सम्बंधित मसौदा तैयार किया गया। यह मानव तस्करी को परिभाषित करता है जिसमें यौन शोषण हेतु तस्करी और बंधुआ मजदूरी भी शामिल हैं। भारत ने भी इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी(दुर्व्यापार) को प्रतिबंधित करता है। हालाँकि यह इसे परिभाषित नहीं करता है।
- 2013 का आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम (जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 को प्रतिस्थापित कर दिया गया), शोषण के लिए मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। परन्तु यह अधिनियम और 1956 का अनैतिक दुर्व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, दोनों ही बंधुआ मजदूरी का उल्लेख नहीं करते हैं।

वर्तमान कानून के दोष :

- वर्तमान कानूनों में सबसे बड़ा दोष यह है कि सीमा-पार तस्करी का शिकार व्यक्ति दो बार शोषण का शिकार होता है, जबकि अपराधी या अवैध व्यापारी (भारतीय या विदेशी) को मामूली सजा ही मिलती है।
- यदि अपराधी और अवैध व्यापारी भारत में पकड़े जाते हैं तो दोनों पर 'विदेशी व्यक्ति अधिनियम 1946 (Foreigners Act 1946)' के तहत मुकदमा चलता है।

✓ इस अधिनियम के अनुसार यदि अपराधी विदेशी नागरिक है, तो उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा दी जानी चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरुप, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति को भारत में अवैध उपस्थिति का दोषी माना जाता है।

✓ जबकि तस्करी का दोषी व्यक्ति, यदि विदेशी है तो, उसे सजा के उपरांत अपने मूल देश निर्वासित कर दिया जाता है; तथा शिकार हुए व्यक्ति को भारत में किसी 'शरणार्थी गृह' में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और चूंकि वह इस मामले में एक गवाह है अतः न्यायालय के आदेशानुसार उसे न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने तक वहीं रखा जाता है।

विस्तृत कानून की अनुपस्थिति :

- भारतीय कानून तस्कर और उसके सहयोगियों को लक्षित नहीं करता है या पर्याप्त सजा नहीं देता है।
- कई बार कानून के उपबन्धों के उचित प्रयोग न किये जाने से प्रभावित व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाता है।

प्रावधानों की समुचित जानकारी न होना :

- तस्कर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366B (जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से कम उम्र की महिला को किसी देश में पहुँचाना या ले जाना दंडनीय अपराध है) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है परन्तु पुलिस को सामान्यतः इसकी जानकारी न होने के कारण इसका प्रयोग यदा -कदा ही होता है।

पीड़ित व्यक्ति के पते के सत्यापन में होने वाली देरी :

- कभी-कभी इसमें दो से तीन वर्ष लग जाते हैं।
- इस देरी के कारणों में बांग्लादेश सरकार द्वारा पुष्टिकरण में की जाने वाली देरी तथा कई बार पीड़ित व्यक्ति द्वारा शरणार्थी गृह में अपुष्ट, गलत या अधूरा पता दिया जाना सम्मिलित हैं।

VISION IAS

आगे की राह :

- सीमा पार दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों और NGO के मध्य अधिक समन्वय।
- सीमा पार तस्करी पर BSF को अधिक संवेदनशील बनाना और सामुदायिक गतिशीलता।
- कुछ NGO, BSF के सहयोग से सीमा के निकट ट्रांजिट होम संचालित कर सकते हैं।
- जब तस्कर और पीड़ित व्यक्ति BSF द्वारा गिरफ्तार किये जाएँ, तब पीड़ित व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के बजाय ट्रांजिट होम भेजा जा सकता है, जहाँ वह बांग्लादेश सरकार द्वारा सत्यापन होने तक रहे।
- मानव तस्करी की समस्या को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सुलझाने की जरूरत है। अक्सर गरीबों को रोजगार के नाम पर इस जाल में फंसाया जाता है।
- तस्करी के शिकार व्यक्तियों खासतौर पर बच्चों, का सुरक्षित सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।
- मानव तस्करी के परिणामस्वरुप यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, श्रमिकों का अन्य तरीकों से शोषण, जबरदस्ती विवाह और सशस्त्र संघर्षों में बच्चों का शोषण आदि हर तरह की दासता को बढ़ावा मिलता है। अतः आवश्यकता है कि इसे पूरी तरह समाप्त किया जाए।

6.5. अंग व्यापार (मानव अंगों का संगठित अवैध व्यापार)

(Organ Trafficking (organized illegal trade in organs)

चर्चा में क्यों?

मुंबई में एक शीर्ष निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण के काम में लगे हुए कई उच्च स्तरीय डॉक्टरों की गिरफ्तारी।

ऐसे व्यापार के कारण

- **मांग और आपूर्ति का अंतर:** जीवन को खतरे में डालती अंग विफलता से पीड़ित लोगों द्वारा अंगों की मांग अत्यधिक है जिसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। ऐसे लोग किसी भी संभव स्रोत से अंग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
- बहुत कम पंजीकृत दाता।
- ब्रेन डेड मरीजों या बीमार मरीजों से प्राप्त अंग दान की निम्न दर।
- आपूर्ति पक्ष में बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिन्हें लालच दिया जाता है।
- जबकि कुछ मामलों में लोग पैसे के लिए अपने गुर्दे बेचते हैं , ऐसे भी मामले है जहाँ गुर्दे मरीज की सहमति के बिना ही निकाल लिए जाते हैं।

कानूनी प्रावधान

- 1994 में पारित मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 'असम्बद्ध प्रत्यारोपण'(unrelated transplants) को आपराधिक ठहराता है और केवल एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही इसकी अनुमति का प्रावधान करता है।
- अधिनियम में कहा गया है कि अंग प्रत्यारोपण होने से पहले एक प्राधिकरण समिति से अनुमोदन आवश्यक है।
- छोटे अस्पतालों के लिए यह समिति राज्य / क्षेत्रीय स्तर पर आधारित हो सकती है। एक वर्ष में 25 से अधिक प्रत्यारोपण करने वाले बड़े अस्पतालों के लिए आतंरिक समिति स्थापित की जा सकती है।

आगे की राह

- यदि देश ऐसे लोगो का एक पूल निर्मित करे **जिनके मस्तिष्क मृत हो चुके हैं और जिन्होंने अंग दान की पेशकश** की हो तो अंगों की मांग पूरी की जा सकती है ।

VISION IAS

- जिस तरह अंगों (गुर्दे, जिगर, हृदय आदि) की मांग बढ़ रही है, अंगों के वाणिज्यिक व्यापार को गैरकानूनी बनाने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका यह होगा कि अंगों की स्वैच्छिक आपूर्ति को बढ़ाया जाये। और इसके लिए बहुत अधिक जागरुकता की आवश्यकता है।
- कई डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि दाताओं के लिए प्रोत्साहन राशि(incentives) को वैधता प्रदान करना शोषक बिचौलियों को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन भारत जैसे व्यापक सामाजिक-आर्थिक असमानता से घिरे देश में, अंग दान के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था अमीरों को अंग देने के लिए होने वाली गरीबों के शोषण की प्रक्रिया को संस्थागत रूप प्रदान कर सकती है।

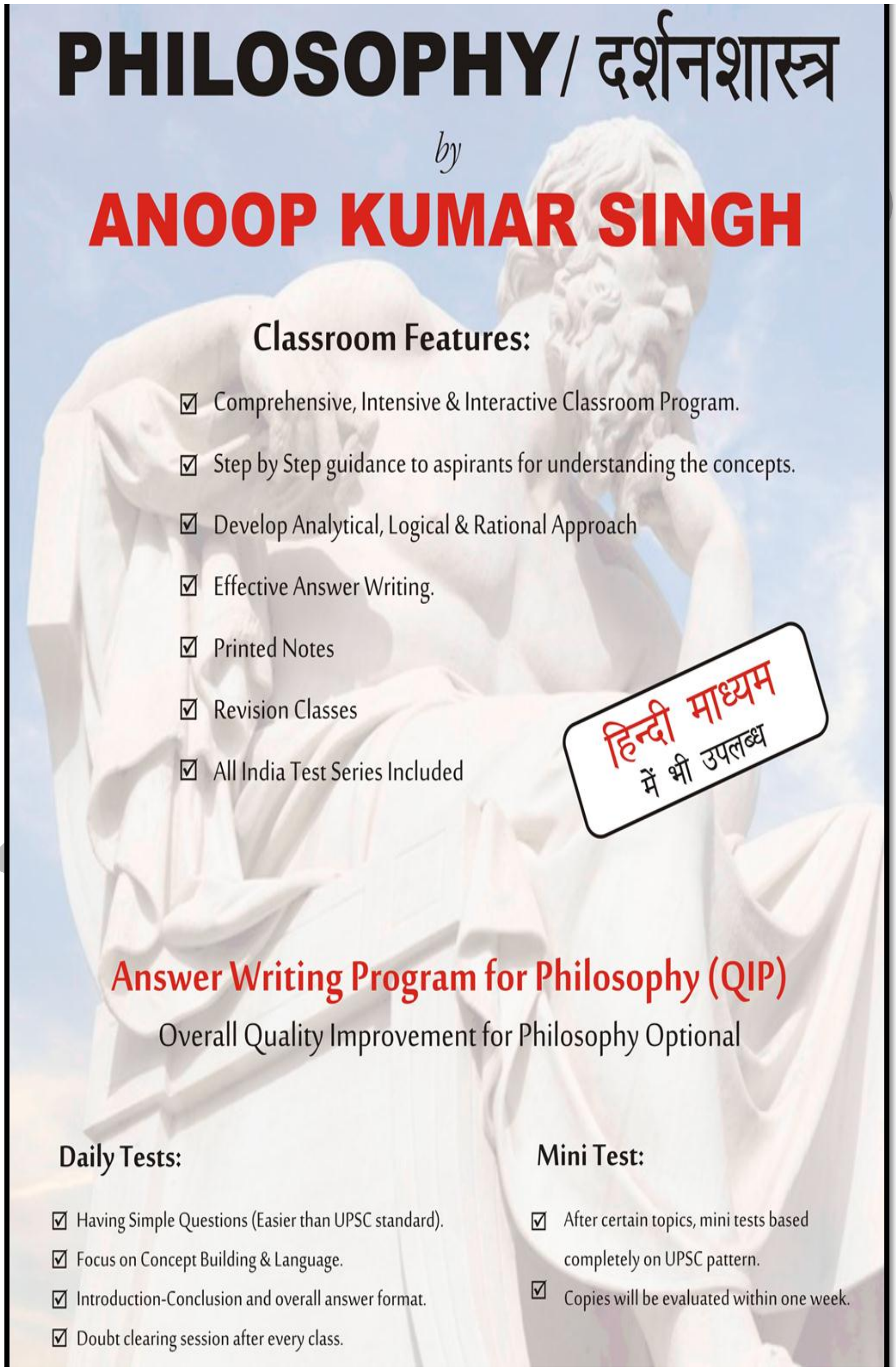

7. सुरक्षा बल और एजेंसियाँ

(Security Forces And Agencies)

7.1.भारतीय रिजर्व बटालियन बल

(Indian reserve battalion forces)

- हाल ही में केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 17 अतिरिक्त "भारतीय रिजर्व बटालियनों" के गठन का निर्णय लिया है।
- इसमें 5 बटालियन जम्मू-कश्मीर में, 4 छत्तीसगढ़ में और 3-3 बटालियन झारखण्ड तथा उड़ीसा में और 2 बटालियन महाराष्ट्र में होंगी।
- इन बटालियनों के लिए क्षेत्रीय युवाओं की नियुक्तियों पर जोर दिया गया है और यदि आवश्यकता पड़ी तो आयु एवं शैक्षणिक प्रावधानों में छूट दी जायेगी। उदाहरण के लिए जम्मू-कश्मीर में 60% नियुक्तियाँ सीमावर्ती जिलों से होंगी।
- भारतीय रिजर्व बटालियन, 1971 के प्रावधानों के तहत अब तक सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए 153 बटालियनों का गठन किया जा चुका है।

इस निर्णय का महत्व

- यह राज्य पुलिस की नक्सलवाद एवं आतंकवाद विरोधी क्षमता को बढ़ाएगा।
- क्षेत्रीय युवाओं की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा:-

✓ यह सेना एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल तथा स्थानीय जनता के मध्य विश्वास की कमी को दूर करेगा।

✓ स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान आसूचना को इकट्ठा करने और अभियानों को संचालित करने के लिए बेहतर होता है।

✓ इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने से गरीबी निवारण के साथ युवाओं को मुख्य धारा में लाकर उनके अतिवादी कदम और भटकाव को रोकने में मदद मिलेगी

भारतीय रिजर्व बटालियन:

- भारतीय रिजर्व बटालियन (आई.आर.बी.) एक विशिष्ट बल है, जिसका गठन मुख्यतः नक्सलवाद तथा आतंकवाद से प्रभावित राज्यों में कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए किया गया है।
- यह बल ऐसे राज्यों में स्थानीय पुलिस बल को एक सहायक भूमिका प्रदान करता है।
- यह एक प्रशिक्षित और विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए विशिष्ट हथियारों से सुसज्जित बल है।
- आई.आर.बी. की संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक शुरूआती धन केंद्रीय कोष से उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि, संबंधित राज्य इसके प्रबंधन संबंधी भार का वहन करते हैं।

7.2. जिला रिजर्व बटालियन

(District Reserve Battalions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जिला रिजर्व समूह (DRG), स्थानीय स्तर पर गठित रक्षा बल है जिसका काम माओवादियों से निपटना है। पिछले एक साल में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में इसने मदद की है।

DRG के बारे में

- यह पहली बार कांकेर (उत्तरी बस्तर) और नारायणपुर (अबूझमाड़) में 2008 में बनाया गया था और पांच साल के अंतराल के बाद यह बल 2013 में बीजापुर और बस्तर जिलों में गठित किया गया था।

VISION IAS

- DRG में अधिकारियों सहित 1700 के करीब रक्षाबल हैं।
- DRG में कार्यरत व्यक्ति पूर्ण रूप से पुलिस अधिकारियों के समान हैं और अन्य पुलिसकर्मी की तरह ही उनकी भी जवाबदेही है और इस तरह राज्य उनके कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।
- इन्हें "भूमिपुत्र" कहा जाता है क्योंकि इन पुलिसकर्मियों की भर्ती स्थानीय युवाओं और बस्तर संभाग के उन पूर्व नक्सलियों के बीच से की जाती है जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।

DRG के लाभ

- वे बस्तर के घने जंगलों और दुर्गम इलाके से अच्छी तरह से परिचित होते हैं।
- वे भावनात्मक रूप से इस क्षेत्र से जुड़े होते हैं क्योंकि वे इस जगह के हैं। वे माओवादियों से कुशलतापूर्वक अपने अन्दर निहित प्रेरणा की वजह से लड़ रहे हैं।
- DRG के रंगरूटों में से कई लोग पूर्व नक्सली होते हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और गैरकानूनी घोषित सी.पी.आई. (माओवादी) में सेवारत रह चुके हैं। इसलिए उन्हें जंगल में माओवादियों के आंदोलन, उनके कार्यक्रम, आदतें और ऑपरेशन पैटर्न के बारे में पता होता है।
- जब परिस्थितियों से निपटने की बारी आती है तो उन्हें बेहद "लचीला" समझा जाता है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित रक्षाबल मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। आत्मसमर्पण कर चुके ये कार्यकर्ता, नियमों का पालन नहीं करते हैं और इस तरह जंगलों में गुरिल्ला युद्ध के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हैं।
- DRG का एक अच्छा स्थानीय सूचना नेटवर्क है जो उन्हें विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर अभियान शुरू करने में मदद करता है।

DRG की आलोचना

- पुलिस के आलोचकों का कहना है कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की राज्य के उपकरण के रूप में प्रयोग की अवधारणा प्रतिबंधित सलवा जुडूम के मॉडल पर आधारित है।
- आरोप है कि DRG कार्यकर्ता निर्दोष ग्रामीणों को परेशान करते हैं और गांवों में महिलाओं का यौन शोषण भी कर रहे हैं।
- पुलिस पर DRG की मदद से सामूहिक सजा के रूप में व्यापक छापे मारने और ग्रामीणों को पूर्व नियोजित अपराधों में फँसाने का आरोप लगाया जाता है।

निष्कर्ष

- सरकार को उग्रवाद का खात्मा करने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि, ऐसा करने में सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
- राज्य सरकार को DRG की भर्ती में और अधिक पारदर्शिता लाने की ज़रुरत है और DRG के गलत कामों की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए।
- नक्सलवाद को केवल बलप्रयोग द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है; संघर्ष क्षेत्र में रहने वाले लोगों का दिल और दिमाग जीतना बहुत आवश्यक है।

7.3. जांच एजेंसियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन

(First National Conference of investigating agencies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री ने जांच एजेंसियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के समन्वय से किया।

VISION IAS

लक्ष्य

सम्मेलन का उद्देश्य एक ऐसा मंच तैयार करना था जिस पर देश की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ साथ आकर अपराध नियंत्रण हेतु एक समन्वित रणनीति पर विचार कर सकें।

गृह मंत्री के भाषण के मुख्य बिंदु

- अपराध नियंत्रण के मूलतः दो आयाम है: रोकथाम या निरोध एवं अन्वेषण या जांच । रोकथाम/निरोध को सर्वोत्तम उपाय माना जाता है क्योंकि इसमें अपराध को उसके प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया जाता है। यदि अपराध हो गया है, तो जांच की गुणवत्ता ही वह नींव है जिस पर खोज (detection)आधारित होती है।
- NCRB के अनुसार , अपराधों की दोषसिद्धि की दर बहुत कम है, यही वजह है कि जांच की गुणवत्ता पीड़ितों को न्याय और अपराधी के लिए सजा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।
- सरकार ने जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें ;

✓ सामान्य अपराध के मामले में सरकार ने पुलिस की कार्यप्रणाली का पूरी तरह कंप्यूटरीकरण करने के लिए और अदालत, जेल, अभियोजन पक्ष और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं तक इसका विस्तार करने हेतु क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) परियोजना का पुनरोत्थान किया है।

✓ महिलाओं की सुरक्षा: महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जाँच करने के लिए , स्त्री विरुद्ध अपराध पर समर्पित जांच इकाईयों (IUCAW) को भारत के 564 जिलों में स्थापित किया जा रहा है।

✓ **अनुसूचित जाति / जनजाति के खिलाफ अपराध:** सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में संशोधन करके उसमें अपराधों की नयी श्रेणियों की प्रविष्टि द्वारा उसे और मज़बूत बनाया है।

- **साइबर अपराध के मामले**

✓ केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की है ।

✓ I4C का उपयोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन दुर्व्यवहार सहित साइबर अपराध की जांच के लिए किया जा सकता है।

✓ I4C साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में नोडल पॉइंट तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा।

✓ यह पीड़ितों के लिए एक प्लेटफार्म की भी स्थापना करेगा जहाँ वे साइबर अपराध सम्बन्धी शिकायतें दर्ज करा सकें।

- **सोशल मीडिया की चुनौतियां**

✓ आतंकवादियों द्वारा इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के कारण, हमें नए खतरों का सामना करना पड़ रहा हैं।

निष्कर्ष:

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) , एडवांस्ड कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC) जैसे विशेषज्ञ संगठनों की वर्तमान क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

8. विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न

(Previous Year Questions)

1. मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। [2015]
2. डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आई.एस.आई.एस. में शामिल हो जाना रहा है। आई.एस.आई.एस.एस. क्या है और उसका ध्येय (लक्ष्य) क्या है? आई.एस.आई.एस. हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरनाक हो सकता है? [2015]
3. पिछले क्षेत्रों में बड़ें उद्योंगो का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनकों अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। [2015]
4. विचार करते हुए कि साइबरस्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है, भारत को ऐसे अपराधों रोकने के लिए एक "डिजिटल सशस्त्र बल" की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में दिखाई देने वाली चुनौतियों की प्रस्तुत करते हुए, इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। [2015]
5. "बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संपात के प्रति निरापद नहीं है।" ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिए अपनाए जाने वाली रणनीतियों के साथ विवेचना कीजिए। [2014]
6. अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम सभी देशों को अपने भूभाग के ऊपर के आकाशी क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप 'आकाशी क्षेत्र' से क्या समझते हैं? इस आकाशी क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिए इन नियमों के क्या निहितार्थ हैं? इससे प्रसूत चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और खतरे को नियंत्रित करने के तरीके सुझाइए। [2014]
7. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। [2014]
8. 2012 में समुद्री डकैती के उच्च-जोखिम क्षेत्रों के लिए देशांतरी (लॉगुईडिनल) अंकन अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अरब सागर में 65 डिग्री पूर्व तक खिसका दिया गया था। भारत के समुद्री सुरक्षा सरोकारों पर इसका क्या परिणाम है? [2014]
9. चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारे के विकास के लिए समझौता किया है। यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा प्रस्तुत करता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [2014]
10. दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा मयनमार से लगी विशेषकर लम्बी छिद्रित सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी है?
11. अवैध धन स्थांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

VISION IAS

12. भारत के संविधान की धारा 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। उसकी पांचवीं सूची के कार्यान्वित न करने से वामपंथी पक्ष के चरम पंथ पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
13. 'आंगुलिक हस्ताक्षर' (digital signature) क्या होता है? उसके द्वारा प्रमाणीकरण का क्या अर्थ है? 'आंगुलिक हस्ताक्षर' की प्रमुख विविध अंतस्थ विशेषताएं बताइए।
14. 'सामाजिक संजाल स्थल' (Social Networking Sites) क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं?
15. कुछ रक्षा विश्लेषक इलेक्ट्रानिकी संचार माध्यम द्वारा युद्ध को अलकायदा और आतंकवाद से भी बड़ा खतरा मानते हैं। आप 'इलेक्ट्रानिकी संचार माध्यम युद्ध' (Cyber warfare) से क्या समझते हैं? भारत ऐसे जिन खतरों के प्रति संवेदनशील है उनकी रूप-रेखा खींचिए और देश की उनसे निपटने की तैयारी को भी स्पष्ट कीजिए।